(1)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

****

INDEX

IN

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT

On Behalf of

Vipin Nayyar aged around 50 years Son of Shri Surinder Kumar Nayyar Resident of 108/305 Gali No. 8, Veerbhadra Marg, Rishikesh, District Dehradun. ....**Original Applicant**

IN

ORIGINAL APPLICATION No. 463 of 2022

IN THE MATTER OF:

Vipin Nayyar ....**Applicant**

Versus

Union of India & Others ....**Respondents**

SL.No.	Particulars	Page No.
1	Index	1 – 4
2	Supplementary Affidavit	5 – 18

②

3	***Annexure A-1*** : True copy of the notice no. 14/स०अभि०(सि०)/वीरभद्र बैराज dated 03.02.2022 issued by Assistant Engineer UJVNL to respondent no. 6, along with its true typed copy.	19 – 21
4	***Annexure A-2*** : True copy of the joint inspection report dated 16.05.2024 No. 100/एस०पी०ए०-विविध पत्र-2024 by the district administration and sealing of commercial properties including respondent no. 6 Hotel Ganga Forest View.	22 – 24
5	***Annexure A-3*** : True copies of the order no. 2283 dated 16.05.2024 along with its typed copy and order no. 2284 dated 16.05.2024 by Presiding Officer MDDA.	25 – 27
6	***Annexure A-4*** : E-True copy of the Order. Dated 24.05.2024 passed by the Hon'ble High Court in WMPS 1328 of 2024 titled as *Hotel Ganga Forest View & Anr. Vs MDDA & Ors.*	28 – 30

7	***Annexure A-5*** : True copies of the order dated 29.05.2024 and modified order dated 01.06.2024 in appeal no. 125 / 2023-24 and order dated 11.06.2024 in appeal no. 151 / 2023-24	31 – 36
8	***Annexure A-6*** : True copies of the NOC no. 239 dated 27.05.2024 and NOC no. 298 dated 27.06.2024	37 – 38
9	***Annexure A-7*** : True copy of the Order Dated 11.06.2024 by the Hon'ble High Court in WPMS 1468 of 2024 titled as *Hotel Ganga Forest View & Anr. Vs MDDA & Ors.*	39 – 41
10	***Annexure A-8*** : True copies of the Order Dated 15.07.2024 in recall application no. 165 of 2024 and in recall application no. 166 of 2024	42 – 47
11	***Annexure A-9*** : True copies of the demolition order no. 2398 and order no. 2399 against respondent no. 7 and no. 6 respectively on 08.07.2024	48 – 51

(4)

12	***Annexure A-10*** : True copy of the Order Dated 19.07.2024 passed by the Hon'ble High Court in WPMS No. 1953 of 2024 titled as *Hotel Ganga Forest View & Anr. Vs MDDA & Ors.*	52 – 53
13	***Annexure A-11*** : True copy of the Order dated 20.07.2024 passed by the Hon'ble High Court in Writ Petition no. 1961 of 2024 titled as *Nitin Dev Vs State of Uttarakhand & Ors.*	54 – 55
14	***Annexure A-12*** : True photographs of the said Hotel "The Naga" at a mere 8 meters from the edge of the Holy River Ganga without any sanction map.	56 – 57

Filed by

Vipin Nayyar
(Applicant in Person)
108/305 Gali No.8 Veerbhadra Marg
Rishikesh-249201, Uttarakhand
Mobile No. 8006286662
Email : *lamadrestones@gmail.com*

Filed on : 21.07.2024

(5)

₹10
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT1428133B2408N
14-FEB-2024

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

****

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT

On Behalf of

Vipin Nayyar aged around 50 years Son of Shri Surinder Kumar Nayyar Resident of 108/305 Gali No. 8, Veerbhadra Marg, Rishikesh, District Dehradun. ....**Original Applicant**

IN

ORIGINAL APPLICATION No. 463 of 2022

<u>IN THE MATTER OF:</u>

Vipin Nayyar ....**Applicant**

Versus

Union of India & Others ....**Respondents**

Smt. Priti Shah
Advocate
H.Q. NAINITAL
R. N. 19(19)/2005
NOTARY
UTTARAKHAND (INDIA)

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT BY THE APPLICANT TO PLACE RELEVANT DOCUMENTS ON RECORD AND DISCLOSURE OF SUBSEQUENT EVENTS AND OBJECTIONS TO IA NO. 319 OF 2024 FILED BY RESPONDENT NO. 6

Affidavit of Vipin Nayyar (Male) aged about 50 years, son of Shri Surinder Kumar Nayyar, r/o 108/305 Gali No.8 Veerbhadra Marg, Rishikesh District Dehradun.

DEPONENT

I, the deponent above named do hereby solemnly affirm and state on oath as under :—

1. That I, the deponent above named is the applicant in the aforesaid Original Application and as such he is fully conversant with the facts and circumstances of the case deposed to below.

7

2. That it is pertinent to bring to the notice of the Hon'ble Tribunal certain subsequent facts for proper and effective adjudication of the matter.

3. That original applicant has been apprising the officials of Uttarakhand Jal Vidhyut Nigam Limited (hereinafter referred to as "UJVNL") about the illegal construction and encroachment done by respondent no. 6 over the filter trench of the dam "Chilla Jal Vidhyut Pariyojna", meant for emegency evacuation of flood water and about discharging of sewerage coming out of the said Hotel into the filter trench connected to Holy River Ganga.

4. That respondent no. 6 has been continuously violating environmental norms and deliberately discharging the sewerage into Holy River Ganga.

5. That an inspection was done on 28.01.2022 by the officials of UJVNL and it was found that respondent no. 6 Hotel Ganga Forest View was directly discharging the sewerage into the filter trench of the Dam connected to Holy River Ganga. A notice no. 14/स०अभि०(सि०)/वीरभद्र बैराज dated 03.02.2022 was issued to respondent no. 6 by Assistant Engineer UJVNL, directing to immediately stop the sewerage going into Holy River Ganga. True copy of the notice no. 14/स०अभि०(सि०)/वीरभद्र बैराज dated 03.02.2022 issued by Assistant Engineer UJVNL to respondent no. 6,

Smt. Priti Shah Advocate H.Q. NAINITAL R. No. 19(38)/2005 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

(8)

along with its true typed copy is annexed hereto as ***Annexure A-1***.

6. That vide order dated 05.07.2022 the Hon'ble Tribunal constituted a committee for joint inspection of the alleged violation. The Joint Inspection was done on 04.08.2022 and it was found that respondent no. 6 is located at a mere 28 meters away from the edge of the Holy River Ganga and is found to discharging the sewerage/effluent into the open. Respondent no. 6 was also found to be exploiting underground water for commercial use without any permission from CGWA. The joint inspection report dated 04.08.2022 is already annexed at **page no. 54 to no. 60** of the main record.

7. That again an inspection was conducted on 15.05.2024 by the district administration in pursuance to OA No. 463 of 2022, it was found that Hotel Ganga Forest View had no sewer line connection to dispose the sewerage and further after breaking the floor tiles no soak pit or a bio digester was found. True copy of the joint inspection report dated 16.05.2024 No. 100/एस०पी०ए०-विविध पत्र-2024 by the district administration and sealing of commercial properties including respondent no. 6 Hotel Ganga Forest View is annexed hereto as ***Annexure A-2***.

Smt. Priti Shah Advocate H.Q. NAINITAL R. No. [illegible]

(9)

8. That since the filing of the present OA on 13.06.2022 till the inspection dated 16.05.2024, respondent no. 6 sets a classic example of blatant effrontery and impudence by continuing violating environmental norms and that too in connivance with the officials of Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, who issued Consolidated Consent Authorization (CCA) by deliberately overlooking that the sewerage of the said Hotel of respondent no. 6 is being discharged into Holy River Ganga through the filter trench of the Dam.

9. That the Sub-Divisional Magistrate Rishikesh, who is also holding the post of Presiding Officer, Mussoorie Dehradun Development Authority (MDDA) vide order no. 2283 and no. 2284 dated 16.05.2024, sealed both the commercial establishments of respondent no. 6 and no. 7. True copies of the order no. 2283 dated 16.05.2024 along with its typed copy and order no. 2284 dated 16.05.2024 by Presiding Officer MDDA are annexed hereto as ***Annexure A-3***.

10. That on 21.05.2024 while the subject OA was listed for hearing, respondent nos. 6 and 7, represented through their counsel Mr. Vikas Malhotra and Mr. Amit Seth respectively, sought three weeks' time to file their response, and the same was granted by the Hon'ble Tribunal.

11. That on 21.05.2024 respondent no. 6 filed writ petition no. 1328 of 2024 before the Hon'ble High Court assailing the

Smt. Priti Shah Advocate H.C. NAINITAL R. No. U(18)/2005

sealing order dated 16.05.2024, without impleading the applicant being the necessary party and deliberately suppressing the fact that the case is pending before the Hon'ble National Green Tribunal. On 24.05.2024 the applicant filed an Impleadment Application in the writ petition, but without deciding the same, the Hon'ble High Court vide Order Dated 24.05.2024 disposed of the writ with liberty to the petitioner to approach the Appellate Authority. E-True copy of the Order Dated 24.05.2024 passed by the Hon'ble High Court in WMPS 1328 of 2024 titled as *Hotel Ganga Forest View & Anr. Vs MDDA & Ors.* is annexed hereto as ***Annexure A-4***.

12. That respondent no. 6 and no. 7 approached the Hon'ble Court of Commissioner Garhwal, the Appellate Authority, assailing the sealing order dated 16.05.2024, without impleading the applicant being the necessary party and without disclosing the fact that the IA 311 of 2022 is pending before the Hon'ble National Green Tribunal with a specific prayer to seal both the commercial establishments. The applicant apprised Ld. Commissioner Garhwal, that the case is pending before the Hon'ble National Green Tribunal and the appellants should be directed to approach the Hon'ble Tribunal for relief. The appeal no. 125 / 2023-24 filed by respondent no. 7 was disposed of with order dated 29.05.2024 and modified order dated 01.06.2024 to unseal the property if the compounding map is not decided in 7

Smt. Priti Shah Advocate H.Q. NAINITAL R. No. 19(18)/2005 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

days. The appeal no. 151 / 2023-24 filed by respondent no. 6 was dismissed on 11.06.2024, as being without merit. True copies of the order dated 29.05.2024 and modified order dated 01.06.2024 in appeal no. 125 / 2023-24 and order dated 11.06.2024 in appeal no. 151 / 2023-24 are annexed hereto as ***Annexure A-5***.

13. That respondent no. 7 fraudulently tried to get the map approved and managed to get NOC no. 239 dated 27.05.2024 from irrigation department that the subject property is 548 meters away from the center of the Holy River Ganga, in a pretext to show that the subject property is away from prohibitory as well as regulatory zone. The applicant raised objections to the NOC issued by the irrigation department and subsequently a new NOC was issued on 27.06.2024 specifically mentioning that the commercial property of respondent no. 7 is situated at a mere 9 meters from the edge of the Holy River Ganga. True copies of the NOC no. 239 dated 27.05.2024 and NOC no. 298 dated 27.06.2024 are annexed hereto as ***Annexure A-6***.

14. That the compounding map for a commercial establishment filed by respondent no. 7 got rejected by the development authority MDDA. Thereafter respondent no. 7 again presented a compounding map for a residential building but the objections raised by MDDA are not resolved, as the site

Smt. Priti Shah Advocate H.Q. NAINITAL R. No. 1900/2005 NOTARY (VIGN) GOVT. OF UTTARAKHAND

was within 30 meters of no construction zone of Holy River Ganga.

15. That show cause notices was issued to respondent no. 6 and 7 for demolition of their commercial establishments without sanction plan by MDDA. Respondent no. 6 again filed writ petition no. 1468 of 2024 on 07.06.2024 before the Hon'ble High Court, without impleading the applicant being the necessary party and deliberately suppressing the fact that the case is pending before the National Green Tribunal. The applicant filed an Impleadment Application on 11.06.2024 but without deciding the said impleadment application, the Hon'ble High Court disposed of the writ petition with an observation that this court is not inclined to interfere in the matter. True copy of the Order Dated 11.06.2024 by the Hon'ble High Court in WPMS 1468 of 2024 titled as *Hotel Ganga Forest View & Anr. Vs MDDA & Ors.* is annexed hereto as ***Annexure A-7***.

16. That being aggrieved by the order of Ld. Commissioner Garhwal, the applicant preferred recall application no. 165 of 2024 and no. 166 of 2024 on 24.06.2024 before the Hon'ble Court of Commissioner Garhwal on the premise that respondent no. 6 and no. 7 have played fraud upon the court by suppressing this fact that the case is pending before the Hon'ble National Green Tribunal and the Ld. Commissioner Garhwal being respondent no. 5 had violated

Smt. Priti Shah Advocate H.Q. NAINITAL

the principals of natural justice as *"no man ought to be a judge in his own cause"*. Vide order dated 15.07.2024 in recall application no. 165 of 2024 and also vide order dated 15.07.2024 in recall application no. 166 of 2024, the Ld. Commissioner Garhwal recalled and set aside his orders with specific remarks that respondent no. 6 and no. 7 have suppressed facts from the purview of the court and fraud and justice cannot dwell together. True copies of the Order Dated 15.07.2024 in recall application no. 165 of 2024 and in recall application no. 166 of 2024 are annexed hereto as ***Annexure A-8***.

17. That in pursuance to the OA No. 463 of 2022, Sub-Divisional Magistrate / Presiding Officer passed demolition order no. 2398 and order no. 2399 against respondent no. 7 and no. 6 respectively on 08.07.2024. True copies of the demolition order no. 2398 and order no. 2399 against respondent no. 7 and no. 6 respectively on 08.07.2024 are annexed hereto as ***Annexure A-9***.

18. That respondent no. 6 again preferred Writ Petition no. 1953 of 2024 titled as *Hotel Ganga Forest View & Anr. Vs MDDA & Ors.* on 16.07.2024 without impleading the applicant being the necessary party, with a prayer to quash the demolition order dated 08.07.2024, the matter was listed for hearing on 19.07.2024 and vide order dated 19.07.2024 the Hon'ble High Court has directed "Status quo" till the next

Smt. Priti Shah Advocate H.Q. NAINITAL R. No. 19(10)/2005 GOVT. OF UTTARAKHAND

(14)

date of hearing. True copy of the Order Dated 19.07.2024 passed by the Hon'ble High Court in WPMS No. 1953 of 2024 titled as *Hotel Ganga Forest View & Anr. Vs MDDA & Ors.* is annexed hereto as ***Annexure A-10***.

19. That respondent no. 7 also preferred Writ Petition no. 1961 of 2024 titled as *Nitin Dev Vs State of Uttarakhand & Ors.* on 18.07.2024 without impleading the applicant being the necessary party, and deliberately suppressing the fact that the case is pending before the Hon'ble National Green Tribunal, writ petition is filed with a specific prayer to quash the demolition order. The matter was listed on 20.07.2024 and vide Order Dated 20.07.2024 the Hon'ble High Court directed "Status quo" till the next date of hearing. True copy of the Order dated 20.07.2024 passed by the Hon'ble High Court in Writ Petition no. 1961 of 2024 titled as *Nitin Dev Vs State of Uttarakhand & Ors* is annexed hereto as ***Annexure A-11***.

20. That the matter came up for hearing before the Hon'ble National Green Tribunal on 18.07.2024 and the counsel of respondent no. 6 and no. 7 deliberately suppressed this fact that they have already instituted writ petitions before the Hon'ble High Court with a purpose to create a legal impediment for the Hon'ble National Green Tribunal to proceed any further with the matter. The counsel for respondent no. 6 and no. 7 sought further two weeks' time

Smt. Priti Shah
Advocate
H.C. NAINITAL
R. No. 1916/2005
UTTARAKHAND

to file their replies, is an absolute lame excuse to delay the matter and get a stay order from the Hon'ble High Court. The counsel are officers of the court and are well aware of the law that when a matter is directly and substantially in issue before a court, no other court can proceed further with that matter, as being arose from the same cause of action. The Hon'ble National Green Tribunal under section 19(4) has same powers as are vested in a civil court under CPC 1908, and the only efficacious remedy available to respondent no. 6 and no. 7 was to approach the Hon'ble NGT as under Section 19(4)(i), the Hon'ble NGT has the power to grant relief to respondent no. 6 and no. 7 but they have deliberately abused the process of law by approaching two different courts of concurrent jurisdiction so that the courts may arrive at conflicting results.

21. That respondent no. 6 and no. 7 are not entitled to get any relief from the Hon'ble Tribunal after suppressing the relevant facts and abusing the process of law, thereby the opportunity of hearing may kindly be closed for their counsel and their responses may kindly be rejected.

22. That respondent no. 6 while the pendency of this OA, through the owner Smt. Rama Arora and her sons Pankaj Arora, Rajeev Arora and Manoj Kumar Arora have shown blatant effrontery to raise another illegal construction of a Hotel named "The Naga" at a mere 8 meters away from the

Smt. Priti Shah
Advocate
H.Q. NAINITAL
R. No. 1[illegible]/2005
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

edge of the Holy River Ganga, in eco-sensitive and prohibitory zone in Veerbhadra Marg Rishikesh. True photographs of the said Hotel "The Naga" at a mere 8 meters from the edge of the Holy River Ganga without any sanction map, are annexed hereto as ***Annexure A-12***.

23. That respondent no. 6 and no. 7, as a counter blast to the present OA have instituted OA No. 665 of 2024 titled as *Ashok Paswan Vs MoEFCC* through a sponsored petitioner, with a prayer to completely demolish the residence / property of the applicant in Rishikesh. And the applicant has no objection if respondent no. 6 and no. 7 file their impleadment application therein and are impleaded as co-petitioners in the said OA No. 665 of 2024, for any grievance they may have against the applicant.

24. That all the copies annexed along with this Supplementary Affidavit are true copies of their respective originals.

25. That in light of the facts and circumstances submitted in the preceding paragraphs, the applicant humbly prays that the Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take the instant Supplementary Affidavit along with its annexures on record and the same may kindly be treated as part of the Original Application.

Smt. Priti Shah
Advocate
H.Q. NAINITAL
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

(17)

VERIFICATION

I, the deponent above named, do hereby swear, affirm and verify that the contents of paragraph nos. **1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 20, 21, 23, 24 and 25** of this affidavit are true to my personal knowledge in this case; those contents of paragraph nos. **5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 and 22** of this affidavit are based on perusal of records of this case; those contents of paragraph no's –NIL— are based on legal advice in this case; which all I believe to be true and that no part of this affidavit is false and nothing material has been concealed.

SO, HELP ME GOD.

(DEPONENT)

I, Vipin Nayyar S/o Shri Surinder Kumar Nayyar appearing before The Hon'ble National Green Tribunal at New Delhi as party-in-person do hereby certify that I am the Deponent above making this Supplementary Affidavit and I identify myself through Aadhaar Card No. 4618 0949 9602

Vipin Nayyar
(Party-In-Person)

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)
Smt. Priti Shah
Advocate
H.Q. NAINITAL
R. No. 13(28)/2005

(18)

Solemnly affirmed and sworn before me on this **21st** day of July 2024 at about **06:30** PM by the deponent, who has been identified by self through Aadhaar Card No.4618 0949 9602

I have satisfied myself by examining the deponent that the deponent has understood the contents of this Supplementary Affidavit, which has been read over and explained to him by me.

S/N. 178/2024
Smt. Priti Shah
Advocate
H.Q. NAINITAL
R. No. 19(18)/2005

NOTARY

Vipin Nayyar S/o Surinder Kumar Nayyar
R/o 108/305 Gali No 8,
Veerbhadra Marg
Rishikesh Distt
Dehradun

Affirmed that Sri Vipin
the Deponent Identified by Self
Sworned and Verified the Contents
of this Affidavit at........

21-07-2024

Smt. PRITI SHAH
Notary HQ NAINITAL
Regn No. 19(18)/2005

ANNEXURE A-1

(19)

यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालय सहायक अभियन्ता (सिविल), "वीरभद्र बैराज" पशुलोक, ऋषिकेश (देहरादून)–249203 दू:&I :-0135-2456988,

Office of the Assistant Engineer (Civil), "Virbhadra Barrage"Pasulok,Rishikesh (Dehradundun). Pin-249203

द्वेष–भाव रहित

दिनाँक 03/02/2022

पत्राँकः– 14/स0अभि0(सि0)/वीरभद्र बैराज

श्री सुनील कुमार (अधिकृत प्रतिनिधि)
होटल गंगा फोरेस्ट व्यू,
86 एवं 86/1
निकट गली नं0 5,
आस्था पथ, ऋषिकेश।

विषयः– अफलक्स बन्ध से जुड़ी सीपेज ड्रेन में सीवर का पानी डालने के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयक आपको अवगत करवाना है कि दिनांक 26.01.2022 को स्थलीय निरीक्षण के दौरान होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू के सीवर पाइप का मुँह अफलक्स बन्ध से जुड़ी सीपेज ड्रेन में पाया गया जिसे मौके पर ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा बंद करवा दिया गया। उपरोक्त विषयक अवगतनीय है कि माननीय एनजीटी के एक्ट 2010 के अनुसार गंगा में किसी भी प्रकार का दूषित जल डालना एक गंभीर अपराध है जिसके संबंध में माननीय एनजीटी का निर्णय यहाँ reproduce किया जा रहा है।

"Section 26 NGT Act 2010 "Whoever fails to comply with any order or award or decision of Tribunal under this Act, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or fine which may extend to 10 Crore Rupees, or with both and incase the failure or contravention contuinues, with additional fine which may extend to Twenty Five Thousand Rupees per day during which such failure or contravention continues"

इस सम्बन्ध में आप से अनुरोध है कि माननीय एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू के सीवरेज को सीपेज ड्रेन में जाने से रोकते हुए सीवरेज का उचित प्रबन्धन करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

(देवेन्द्र कुमार)
सहायक अभियन्ता (सिविल)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अधिशासी अभियन्ता (सिविल), पशुलोक बैराज, ऋषिकेश।
2. परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निकट DGBR Camp, आशुतोष नगर ऋषिकेश।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर निगम ऋषिकेश।
4. सहायक अभियन्ता गंगा उत्तराखण्ड जल संस्थान, निकट होटल अशोका, ऋषिकेश।

सत्यापित छायाप्रति
सहायक अभियन्ता(सिविल)
यूजेवीएन लि0,पशुलोक बैराज,
ऋषिकेश

(देवेन्द्र कुमार)
सहायक अभियन्ता (सिविल)

(20)

True Typed and Translated Copy

UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

Letter - 14/Assit.Engineer.Civil./ Virbhadra Barrage Date 03/02/2022

Mr. Sunil Kumar (Authorized Representative)
Hotel Ganga Forest View
86 and 86/1
Near Gali No. 5,
Astha Path, Rishikesh.

Subject - In reference with the discharging of Sewer Water in the Seepage Drain attached to the Aflax Bandh.

You are to be informed about the above subject that during the onsite inspection on 26.01.2022 the opening of the Sewerage Pipe of The Hotel Ganga Forest View was in the Seepage Drain attached to the Afflux Bandh which was stopped on the spot by the undersigned. It is pertinent to mention above that according to Hon'ble NGT Act 2010, discharging any kind of Sewerage Water in River Ganga is a serious crime, regarding which the decision of Hon'ble NGT is being reproduced here.

"Section 26 NGT Act 2010 "Whoever fails to comply with any order or award or decision of Tribunal under this Act, he shall be

(21)

punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or fine which may extend to 10 Crore Rupees, or with both and in case of failure or contravention continues, with additional fine which may extend to Twenty Five Thousand Rupees per day during which such failure or contravention continues"

In this regard, you are requested to follow the instructions of the Hon'ble NGT and try to make proper management of the sewerage by preventing the sewerage of Hotel Ganga Forest View from going into the seepage. drain.

Attachments as above.

(Devendra Kumar)

Assistant Engineer

(Civil)

Copy forwarded to the following for information and necessary action.

1 Executive Engineer (Civil), Pashulok Barrage, Rishikesh.

2. Project Manager Construction and Maintenance Unit (Ganga), Uttarakhand Payjal Nigam, near DGBR Camp. Ashutosh Nagar Rishikesh.

3. Executive Officer, Municipal Corporation Rishikesh.

4 Assistant Engineer (Ganga) Uttarakhand Jal Sansthan, Near Hotel Ashoka Rishikesh.

ANNEXURE A-2

(22)

जिलाधिकारी
17 MAY 2024
देहरादून

A.D.M.F./R.
दिनांक 17/5
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

संख्या:- 100 /एस0पी0ए0-विविध पत्रा-2024 दिनांक 16 मई 2024

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या- 463/2022 विपिन नैय्यर बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेशों के क्रम में दिनांक 1405.2024 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक के कार्यवृत्त के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के कार्यवृत्त आदेश संख्या 69/एल0बी0सी0-2024 दिनांक 15, मई 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त कार्यवृत्त में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-463/2022 विपिन नैय्यर बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 में दिए गये निर्देशों के क्रम में होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू तथा हाईड आउट कैफे का दिनांक 15.05.2024 को समय 11:00 वजे निम्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया-

जिला पर्यटन विकास अधिकारी देहरादून, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश, अधिशासी अभियन्ता ,यूजेवीएन लिमिटेड ऋषिकेश, सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ऋषिकेश, सहायक अभियन्ता, सय डिवीजन (गंगा) उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड देहरादून, जलकल अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश, तहसीलदार ऋषिकेश।

जिलाधिकारी महोदय देहरादून के बैठक कार्यवृत्त में निर्देशित/उल्लेखित विन्दु संख्या 01 से 04 बिन्दुओं के सम्बन्ध में टिप्पणी/आख्या निम्नवत् है-

बिन्दु स0 1- होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे Flood plain Zone के अन्दर या बाहर है

उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड देहरादून के कार्यालय पत्रांक 1140/सिं0ख0दे0/कैम्प दिनांक 16.04.2024 के द्वारा अपनी संलग्न-01 जांच आख्या में अवगत कराया कि होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे दोनों ही सम्पत्तियां जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश में गंगा नदी के दायें तट पर स्थित गंगा नदी बाढ़ परिक्षेत्र के प्रतिषिद्धि (25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति) एवं निर्बन्धित जोन (100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति) की सीमा से बाहर है। संलग्न-02 अधिसूचना सं0 727/II(2)-2022,06 (18)2020 दिनांक 13 जुलाई 2022 एवं अन्तिम अधिसूचना सं0 41/ II(2)-2024-,06 (18)2020 दिनांक 18 जनवरी 2024 संलग्न-03 है।

बिन्दु स0 2- होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे में सीवर का निस्तारण किस प्रकार किया जा रहा है, अगर होटलों में सेप्टिक टैंक /सोकपिट बना हुआ है, तो वह कितनी क्षमता का है।

(23)

उक्त के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता सब–डिवीजन (गंगा) उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश ने अपने कार्यालय पत्रांक 63/ऋषि0जलो0यो0/2024–25 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा अपनी संलग्न–04 जांच रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि गंगा फॉरेस्ट व्यू में सीवर लाइन न होने के कारण उक्त होटल सीवर लाइन से संयोजित नही है। होटल के लीज ऑनर श्री रविकान्त राजपूत द्वारा अवगत कराया गया कि रूम नं0 01 के फर्श के नीचे सैप्टिक टैंक बना है, जिसके फर्श की टाइल्स को लीज ऑनर की अनुमति के उपरान्त तोडा गया, जिसमें पाया गया कि वहाँ पर सैप्टिक टैंक न होकर लगभग 2 फुट x 2फुट x 4फुट(ल0 x चौ0 x ग0) का चैम्बर बना है। उक्त चैम्बर का उत्प्रवाह रूम नं0– 05 के बाहर बरामदे की ओर जा रहा था तथा वहाँ पर भी टाइल्स तोडकर कवर हटाकर देखा गया। उक्त स्थान पर भी सैप्टिक टैंक न होकर लगभग 1 फुट x 1 फुट x 4 फुट का चैम्बर है। उसके उपरान्त लीज ऑनर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त चैम्बर से उत्प्रवाह रूम नं0 – 04 के बाथरूम के नीचे स्थित सैप्टिक टैंक में जा रहा है। उक्त बाथरूम के फर्श की टाइल्स को तोडकर भी देखा गया वहाँ पर भी सैप्टिक टैंक नही था। उक्त होटल के निरीक्षण के दौरान कोई सैप्टिक टैंक दृश्यमान नहीं हुआ तथा न ही स्थल पर उपस्थित लीज ऑनर सैप्टिक टैंक दिखा पाये । तत्पश्चात् उक्त होटल के सामने मैरीन ड्राई पर (गंगा नदी की ओर) निरीक्षण, किया गया, जिसके दौरान पाया गया कि वर्तमान में गंगा नदी के जल स्तर से ऊपर कोई सीवेज का उत्प्रवाह गंगा नदी में जाता हुआ दृश्यमान नही हुआ है।

हाईड आउट गंगा कैफे– उक्त कैफे के शौचालय को सीवर से जोड़ा गया है कि जिसके बिल की मांग सं0 04916/NP 3331 एवं उपभोक्ता सं0– RI22NP02N23C010996572 है ।

बिन्दु स0 3– होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे का मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत है अथवा नहीं।

उक्त के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण शाखा कार्यालय ऋषिकेश ने अपने पत्रांक 2281/विविध/24–25 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट संलग्न–05 में अवगत कराया गया कि होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे दोनों मालिकों द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं कराये गये है। उक्त दोनों ही सम्पत्ति मालिकों को नोटिस भेजा गया कि दिनांक 16.05.2024 तक अद्योहस्तक्षरी/पीठासीन अधिकारी मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण शाखा कार्यालय ऋषिकेश को मय स्वीकृत मानचित्र सहित पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना सुनिश्चित करे। दिनांक 16.05.2024 तक कोई संतोषजनक कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया। जिस कारण दिनांक 16.05.2024 को सुनवाई उपरान्त स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण होटल गंगा फारेस्ट व्यू तथा हाईड आउट कैफे दोनो सम्पत्तियों को सहायक अभियन्ता मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण शाखा कार्यालय ऋषिकेश की टीम द्वारा सीलबन्द कर दिया गया है।

बिन्दु स0 04– होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू व हाईड आउट कैफे में जलापूर्ति किस प्रकार की जा रही है, यदि उनके द्वारा बोरवेल इत्यादि लगया गया है, तो उसकी स्वीकृति सम्बन्धित स्थानीय निकास/सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त है अथवा नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में जलकल अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश ने अपने पत्रांक 201/2024–25 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट संलग्न–06 में निम्न प्रकार अवगत कराया गया है–

1– होटल गंगा फारेस्ट व्यू गली न0 06 वीरभद्र मार्ग ऋषिकेश कोई विभागीय पेयजल संयोजन निर्गत नहीं है एवं स्थल पर भी कोई विभागयी पेयजल संयोजन नहीं पाया गया है। गली न0 06 में एक निजी बोरवैल

(24)

लगा हुआ है। जिससे उक्त होटल द्वारा पेयजल आपूर्ति प्राप्त की जा रही है। इस बोरवैल से उक्त होटल का संयोजन जुड़ा हुआ पाया गया है। इस बोरवैल हेतु विभाग से कोई अनापत्ति निर्गत नहीं है।

2– हाईड आउट कैफे गंगा विहार, ऋषिकेश में विभागीय पेयजल संयोजन सं0 04950/NP 1083 से पेयजल आपूर्ति प्राप्त की जा रही है एवं कैफे में कोई बोरवैल स्थापित नहीं पाया गया है।

अतः उक्तानुसार बिन्दुवार आख्या, सम्बन्धित सभी विभागों से प्राप्त अनुपालन आख्या तथा दोनों सम्पत्तियों की सील बन्द करने के पश्चात फोटोग्राफ्स मय संलग्नक महोदय की सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

16/5/24

(कुमकुम जोशी)
उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

ANNEXURE A-3

(25)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

शाखा कार्यालय [illegible] 21, [illegible] कालोनी, ऋषिकेश, जिला- देहरादून।

दिनांक 16-05-[illegible]

[illegible] 1278 [illegible]

[illegible] श्री [illegible]

[illegible]
[illegible] गली [illegible]
ऋषिकेश [illegible] देहरादून।

[illegible] प्रकरण [illegible] प्रकाश [illegible] पत्रावली प्राप्त [illegible] गंगा [illegible] यू 86 86/1 गली न0 [illegible] वीरभद्र मार्ग ऋषिकेश जिला देहरादून में स्थल पर लगभग 28फिट गुणा 55 फिट [illegible] में चार मंजिला भवन का निर्माण [illegible] वर्तमान में होटल गंगा [illegible] का संचालन किया जा रहा है के विरुद्ध उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधित अधिनियम 2011 की धारा-27 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 05-01-2022 को निर्गत करते हुये पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11-01-2022 की तिथि नियत की गयी थी। आप द्वारा प्रकरण में विभिन्न तिथियों पर प्रस्तुत अपने पत्र दि0 11-01-2022 एवं दि0 18-01-2022 में समय चाहने पर आपको पर्याप्त अवसर प्रदत्त किये जाने के उपरान्त आप द्वारा उक्त के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख/पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पश्चात स्थल पर निर्मित होटल गंगा नदी तट से 100मीटर के प्रतिबन्धित जोन में होने तथा होटल में ठोस अपशिष्ट/सीवरेज व्यवस्था का सुचारू प्रबन्धन न किये जाने तथा इससे गंगा नदी में प्रदूषण किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से शिकायतें भी प्राप्त होने पर कार्यालय पत्रांक-[illegible]/सी-0001/2022 दिनांक 01-04-2022 के द्वारा विपक्षी को सील/ध्वस्तीकरण का कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए एक याचिका संख्या 229/2022 मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित होने का उल्लेख किया गया। विपक्षी द्वारा उक्त निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक स्वीकृत मानचित्र आदि की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है। स्थल निरीक्षण कराने पर पाया गया कि वर्तमान में स्थल पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। स्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण है। विपक्षी द्वारा अभी तक उक्त निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृत/शमनित मानचित्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके सम्बन्ध में विपक्षी को पूर्व में भी कार्यालय पत्रांक-1437 दिनांक 13-01-2023 के द्वारा सूचित करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 20-01-2023 नियत की गयी। नियत तिथि को विपक्षी उपस्थित हुए और प्रार्थना पत्र देते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा गया। तत्पश्चात विपक्षी द्वारा दिनांक 03-02-2023 को विक्रय पत्र आदि अभिलेख दिये गये किन्तु निर्माण से सम्बन्धित कोई स्वीकृत/शमन मानचित्र नहीं दिया गया। विपक्षी को कार्यालय पत्रांक-2257 दिनांक 06-05-2024 को निर्माण सीलबन्द हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 16-05-2024 नियत की गयी। नियत तिथि को विपक्षी उपस्थित हुए किन्तु विपक्षी द्वारा प्रश्नगत निर्माण से सम्बन्धित कोई स्वीकृत मानचित्र/सन्तोषजनक साक्ष्य प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी जानबूझ कर वाद को लम्बित रखना चाहता है जो न्यायोचित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में स्थल पर किये गये चार मंजिले भवन का अनाधिकृत निर्माण को सीलबन्द किया जाना आवश्यक है।

-:आदेश:-

श्री सुधीर कुमार अरोडा/श्री राजीव अरोडा, होटल गंगा पैलेस, यू. 86, 86/1 गली न0-6, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून में बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये गये चार मंजिले भवन का अनाधिकृत निर्माण को यथावत रोके जाने हेतु सीलबन्द किया जाना आवश्यक है। वर्णित परिस्थिति में मौके पर किये गये उपरोक्त वर्णित समस्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित अधिनियम की धारा-28-1 (क) के अधीन सीलबन्द के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण दिनांक 16/5/24 को ही पूर्वान्ह 04.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य सील किया जाए।

अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सीलिंग से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दे तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एकतरफा सम्पादित हो। विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे और न होने दे, क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है, जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाए।

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी
ऋषिकेश।

प्रतिलिपि:-

1. [illegible] कोतवाली, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. तहसीलदार, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त नियत तिथि को सील की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
3. [illegible] मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को प्राधिकरण वाहन [illegible] सुरक्षा गार्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मय सील सामग्री स्टील की तार सहित उक्त दिनांक को पूर्वान्ह [illegible] कार्यालय ऋषिकेश में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. [illegible] अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि सील कार्यवाही नियत तिथि पर कराना सुनिश्चित करें।

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी
ऋषिकेश।

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND

502 TRUE TYPED COPY

(26)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।
(निर्माण सीलबन्द हेतु कारण बताओ नोटिस)

दिनांक: 16.05.2024

पत्रांक:2283/सी0–0001/2022
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बनाम श्री सुनील कुमार अरोड़ा/श्री राजीव अरोड़ा
होटल गंगा फोरेस्ट व्यू,
86, 86/1 गली नं0–6, वीरभद्र मार्ग,
ऋषिकेश, जिला देहरादून।

विपक्षी द्वारा प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये बिना होटल गंगा फोरेस्ट व्यू, 86, 86/1, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश के स्थल पर लगभग 28 फिट गुणा 55 फिट क्षेत्रफल मे चार मंजिले भवन का निर्माण जिसमे वर्तमान मे होटल गंगा फोरेस्ट व्यू का संचालन किया जा रहा है, के विरूद्व उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) संशोधन अधिनियम, 2013 की धारा–27 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.01.2022 को निर्गत करते हुए पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11.01.2022 की तिथि नियत की गयी थी। आप द्वारा प्रकरण मे विभिन्न तिथियों पर प्रस्तुत अपने पत्र दि0 11.01.2022 एवं दि0 18.01.2022 मे समय चाहने पर आपको पर्याप्त अवसर प्रदत्त किये जाने के उपरान्त आप द्वारा उक्त के संबंध मे भी कोई अभिलेख/पक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। प्रश्नगत स्थल पर निर्मित होटल गंगा नदी तट से 100 मीटर के प्रतिबन्धित जोन मे होने तथा होटल मे ठोस अपशिष्ट/सीवरेज व्यवस्था का सुचारू प्रबन्धन न किये जाने तथा इससे गंगा नदी मे प्रदूषण किये जाने के सम्बन्ध मे विभिन्न स्रोतों से शिकायतें भी प्राप्त होने पर कार्यालय पत्रांक–09/सी–0001/20202 दिनांक 01.04.2022 के द्वारा विपक्षी को सील/ध्वस्तीकरण का कारण बताओ नोटिस भी किया गया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए एक याचिका संख्या–229/2022 मा0 उच्च न्यायालय मे लम्बित होने का उल्लेख किया गया। विपक्षी द्वारा उक्त निर्माण के सम्बन्ध मे अभी तक स्वीकृत मानचित्र आदि की प्रति प्रस्तुत नही की गयी है। स्थल निरीक्षण कराने पर पाया गया कि वर्तमान मे स्थल पर किसी तरह का निर्माण नही किया जा रहा है। स्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण है। विपक्षी द्वारा अभी तक उक्त निर्माण के सम्बन्ध मे स्वीकृत/शमनित मानचित्र कार्यालय मे प्रस्तुत नही किया गया है। जिसके सम्बन्ध मे विपक्षी को पूर्व मे भी कार्यालय पत्रांक–1437 दिनांक 13.01.2023 के द्वारा सूचित करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 20.01.2023 नियत की गयी। नियत तिथि को विपक्षी उपस्थित हुए और प्रार्थना पत्र देते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा गया। तत्पश्चात विपक्षी द्वारा दिनांक 03.02.2023 को विक्रय पत्र दिनांक 06.05.2024 को निर्माण सीलबन्द हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 16.05.2024 नियत की गयी। नियत तिथि को विपक्षी उपस्थित हुए किन्तु विपक्षी द्वारा प्रश्नगत निर्माण से सम्बन्धित कोई स्वीकृत मानचित्र/सन्तोषजनक साक्ष्य प्राधिकरण कार्यालय मे प्रस्तुत नही किय गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी जानबूझकर वाद को लम्बित रखना चाहता है, जो न्यायोचित नही है। अतः ऐसी स्थिति मे स्थल पर किये गये चार मंजिले भवन का अनाधिकृत निर्माण को सीलबन्द किया जाना आवश्यक है।

<u>आदेश</u>

अतः श्री सुनील कुमार अरोड़ा/श्री राजीव अरोड़ा, होटल गंगा फोरेस्ट व्यू, 86, 86/1 गली नं0–6, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून मे बिना प्राधिकरण की अनुमति के किये गये चार मंजिले भवन का अनाधिकृत निर्माण को यथावत रोके जाने हेतु सीलबन्द किया जाना आवश्यक है। वर्णित परिस्थिति मे मौके पर किये गये उपरोक्त वर्णित समस्त अनाधिकृत निर्माण के विरूद्व उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 तथा संशोधित अधिनियम की धारा–28–1(क) के अधीन सीलबन्ध के आदेश पारित किये जाते है। उक्त अनाधिकृत निर्माण दिनांक 16.05.24 को ही पूर्वान्ह 04.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य सील किया जाए।

अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सीलिंग से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दे तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित कराये। विपक्षी की अनुपस्थिति मे सील की कार्यवाही एकतरफा सम्पादित हो। विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील का न तो क्षतिग्रस्त करे और न होने दें, क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य मे बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के समान है, जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामील की जाए।

ह0अस्पष्ट
उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी
ऋषिकेश

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. तहसीलदार ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त नियत तिथि को सील की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
3. नाजिर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को प्राधिकरण पत्रक, पालक सहित एवं सुरक्षा गार्ड, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मय सील की तार सहित उक्त दिनांक को पूर्वान्ह 11.00 बजे शाखा कार्यालय ऋषिकेश मे उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि सील कार्यवाही नियत तिथि पर कराना सुनिश्चित करे।

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी
ऋषिकेश

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

(27)

पत्रांकः 2284 /वाद संख्या–सी–0003/2022 दिनांक 16/5/2024

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बनाम श्री नितिन देव पुत्र श्री देवराज,
हाईड आऊट कैफे,
232/4, आस्था पथ,दुर्गा माता मंदिर के पीछे,
गंगा विहार कालोनी ,ऋषिकेश, जिला देहरादून

विपक्षी द्वारा 232/4, आस्था पथ दुर्गा माता मंदिर के पीछे, गंगा विहार कालोनी , ऋषिकेष में स्थल पर लगभग 15फिट गुणा 25 फिट क्षेत्रफल में भूतल तथा प्रथम तल का निर्माण जिसमें वर्तमान में हाईड आऊट कैफे का संचालन किया जा रहा है, के विरूद्ध उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2013 की धारा–27 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 05–01–2022 को निर्गत करते हुये पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11–01–2022 की तिथि नियत की गयी थी। उक्त के कम में आप द्वारा प्रस्तुत पत्र दि0 17–02–2022 में प्रश्नगत निर्माण कई वर्ष पूर्व का होने का उल्लेख करते हुए जारी नोटिस निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है किन्तु आप द्वारा निर्माण पुराना होने के संबंध में भी कोई साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रश्नगत स्थल पर निर्मित 'हाईड आऊट कैफ' 100मीटर के प्रतिबन्धित जोन में होने तथा होटल में ठोस अपशिष्ट/सीवरेज व्यवस्था का सुचारू प्रबन्धन न किये जाने तथा इससे गंगा नदी में प्रदूषण किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतो से शिकायतें भी प्राप्त हो रहीं हैं। जिसके सम्बन्ध में विपक्षी को कार्यालय पत्रांक–08 दिनांक 01–04–2022 में निर्माण को सील/ध्वस्तीकरण का कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया । विपक्षी द्वारा स्थल पर लगभग 4.90मी गुणा 11.0 मी0 की माप में भूतल व प्रथम तल पर निर्माण किया गया है । इसके अतिरिक्त 6.0मी0 गुणा 2.5मी0 की माप में पाइपों की सहायता से टीनषेड का निर्माण किया गया है । उक्त स्थल पर हाईड आऊट कैफे का संचालन किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा पत्र दिनांक 13–01–2023 प्रस्तुत करते हुए अपनी सम्पत्ति को एन.जी.टी. के मानको के हिसाब से बताया गया है तथा एन.जी.टी. के मानकों के विरूद्व कोई भी निर्माण नहीं करने का उल्लेख करते हुए अपना पक्ष रखने हेतु समय की माँग की गयी परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक कोई साक्ष्य/स्वीकृत मानचित्र की प्रति आदि प्रस्तुत नहीं की गयी है जबकि प्रकरण मे सुनवाई हेतु दिनं 14–07–2023 नियत की गयी थी । नियत तिथि को विपक्षी अनुपस्थित रहें । तत्पश्चात विपक्षी को कार्यालय पंत्राक–1228 दिनांक 26–07–2023 एवं पंत्राक–1715 दिनाक 01–12–2023 के द्वारा भी सूचित किया गया । विपक्षी को कार्यालय पंत्राक–2256 दिनांक 06–05–2024 को निर्माण सीलबन्द हेतु कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए सुनवाई हेतु दिनाक 16–05–2024 नियत की गयी । नियत तिथि को विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी द्वारा आतिथि तक प्रश्नगत निर्माण से सम्बन्धित कोई स्वीकृत मानचित्र/सन्तोषजनक साक्ष्य प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी जानबूझ कर वाद को लम्बित रखना चाहता है जो न्यायोचित नहीं है । अतः ऐसी स्थिति में स्थल पर किये गये भूतल तथा प्रथम तल का अनाधिकृत निर्माण को सीलबन्द किया जाना आवश्यक है।

–:आदेश:–

श्री नितिन देव पुत्र श्री देवराज, 232/4, आस्था पथ दुर्गा माता मंदिर के पीछे, गंगा विहार कालोनी , ऋषिकेश, जिला देहरादून में बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये गये भूतल तथा प्रथम तल के अनाधिकृत निर्माण को यथावत रोके जाने हेतु सीलबन्द किया जाना आवश्यक है। वर्णित परिस्थिति में मौके पर किये गये उपरोक्त वर्णित समस्त अनाधिकृत निर्माण के विरूद्व उत्तराखण्ड नगर एंव ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित अधिनियम की धारा–28–1 (क) के अधीन सीलबन्द के आदेष पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण दिनांक.....16/5/24.........को ही पूर्वान्ह 04.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य सील किया जाए।

अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सीलिंग से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निश्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एकतरफा सम्पादित हो। विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे और न होने दे, क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है, जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाए।

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
ऋषिकेश।

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. तहसीलदार, ऋशिकेष को इस निर्देश के साथ कि उक्त नियत तिथि को सील की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
3. नाजिर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को प्राधिकरण वाहन, चालक सहित एवं सुरक्षा गार्ड, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मय सील सामग्री स्टील की तार सहित उक्त दिनांक को पूर्वान्ह 11.00 बजे शाखा कार्यालय ऋषिकेश में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि सील कार्यवाही नियत तिथि पर कराना सुनिश्चित करें।

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
ऋषिकेश।

ANNEXURE A-4

(28)

VIPIN NAYYAR || APPLICANT || 8006286662 || 23-06-2024 07:39:44 AM

Jpeyi3M=

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

WPMS NO. 1328 OF 2024

DISTRICT: DEHRADUN

1 - HOTEL GANGA FOREST VIEW
2 - SMT RAMA ARORA

.... Petitioner

Versus.

1 - MUSSOORIE DEHRADUN DEVELOPMENT AUTHORITY
2 - SUB DIVISIONAL MAGISTRATE
3 - SECRETARY
4 - DISTRICT MAGISTRATE

.... Respondent

Petitioner Advocate: NEERAJ GARG

Respondent Advocate: RAHUL CONSUL

THE SEAL OF HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
23-06-2024

TRUE COPY OF THE JUDGMENT/ORDER. IT IS ISSUED UNDER THE UTTARAKHAND HIGH COURT ELECTRONIC TRUE COPY RULES, 2022 TO VIPIN NAYYAR

No	Date	Office Notes, reports, orders or proceedings or directions and Registrar's order with Signatures	COURT'S OR JUDGES'S ORDERS

WPMS No.1328 of 2024

Hon'ble Manoj Kumar Tiwari, J.

Mr. Neeraj Garg, Mr. Yashpal Singh and Mr. Rajendra Arya, Advocates for the petitioners.

Mr. Suyash Pant, Standing Counsel for the State of Uttarakhand.

Mr. Rahul Consul, Advocate for MDDA.

Mr. Vipin Nayyar, applicant in person in impleadment application (I.A. No.2 of 2024).

2. Petitioner has challenged the sealing order dated 16.05.2024 passed by Sub-Divisional Magistrate/Presiding Officer, M.D.D.A., in exercise of power under Section 28-A(1) of Uttarakhand Urban and Country Planning and Development Act, 1973.

3. Learned State Counsel as well as learned counsel appearing for M.D.D.A. submit that the said order is appealable before Commissioner under Section 28-A(4) of the said Act.

4. Learned counsel for the petitioner submits that even though there is an Appeal provided under the Statute, however, there are various perishable items, including eatables, inside the premises and petitioner may be permitted to remove those perishables, or else they will go waste.

5. Learned counsel appearing for

TRUE COPY OF THE JUDGMENT/ORDER. IT IS ISSUED UNDER THE UTTARAKHAND HIGH COURT ELECTRONIC TRUE COPY RULES, 2022 TO VIPIN NAYYAR

30

M.D.D.A. has no objection, if petitioner is permitted to remove the perishable items from the premises.

6. Accordingly, the writ petition is disposed of with liberty to petitioner to approach the Appellate Authority and the Appellate Authority shall decide the Appeal, within four weeks' from the date of filing of Appeal. Interim relief application, if any, filed by petitioner shall be decided, within two weeks of its filing. Petitioner shall be permitted to remove only perishable goods from the premises, within 24 hours.

7. Let a certified copy of this order be issued today itself.

(Manoj Kumar Tiwari, J.)
24.05.2024

Arpan

TRUE COPY OF THE JUDGMENT/ORDER. IT IS ISSUED UNDER THE UTTARAKHAND HIGH COURT ELECTRONIC TRUE COPY RULES, 2022 TO VIPIN NAYYAR

ANNEXURE A-5

(31)

न्यायालय आयुक्त/अध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।

अपील संख्या– 125 /2023–24

अन्तर्गत धारा 28क (4) उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम

श्री नितिन देव बनाम सचिव, एम0डी0डी0ए0

नकल आदेश दि0 – 29-05-2024

प्रश्नगत अपील उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा ऋषिकेश द्वारा पारित आदेश पत्रांक 2284/वाद संख्या सी–0003/2022 दिनांक 16–05–2024 के विरूद्व योजित की गयी है।

पक्षों के वि0 अधिवक्ताओं को सुना। अपीलार्थी के वि0 अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत व्यवसायिक सम्पत्ति को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22–11–2021 के माध्यम से क्रय किया गया है। उक्त सम्पत्ति में एक पुराना निर्माण पूर्व मालिक के समय से पहले निर्मित था, जो कि योग केन्द्र के उद्‌देश्य से बनाया गया था, जिसे कि ''हिड आउट कैफे'' नाम से एक कैफेटेरिया में परिवर्तित किया गया। उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति, नगर निगम से ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के साथ जल संस्थान से सीवरेज लाईन सहित पर्यावरणीय मानदंडों की पुष्टि के साथ विहित प्राविधानों के तहत प्राप्त की गई। अपीलार्थी द्वारा स्थल पर कोई नव निर्माण नही किया गया जो भी निर्माण है व पूर्व निर्मित है। प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी के आस–पड़ोस के व्यक्तियों की झूठी शिकायत के आधार पर कार्यवाही की गई। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06–05–2024 को एक नोटिस जारी करते हुए अपीलार्थी को दिनांक 16–05–52024 को प्राधिकरण में उपस्थित होकर पक्ष रखने हेतु कहा गया, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अपना प्रतिउत्तर एवं अन्य दस्तावेज प्राधिकरण में प्रस्तुत किए, जिसका कोई संज्ञान प्राधिकरण द्वारा नही लिया गया, दिनांक 16–05–2024 को ही सील का आदेश पारित करते हुए उसी दिन ही सम्पत्ति को सील कर दिया गया। प्राधिकरण द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना की गई है। अपीलार्थी प्रश्नगत निर्माण को शमन कराने के लिए तैयार है तथा अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20–05–2024 को शमन मानचित्र प्राधिकरण में प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः उक्त आधार पर अपील स्वीकार करने एवं आलोच्य आदेश को निरस्त कर सम्पत्ति को सीलमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण के वि0 अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि स्थल पर किये गये निर्माण कार्य की कोई स्वीकृति/अनुमति प्राधिकरण से नही ली गई। अपीलार्थी द्वारा प्राधिकरण के समक्ष कोई स्वीकृत मानचित्र एवं निर्माण के कई वर्ष पूर्व होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। उक्त होटल के गंगा नदी से 100 मीटर की प्रतिबंधित जाने में होने तथा होटल में ठोस अपशिष्ट/सीवरेज के संबंध में एन0जी0टी0 के नियमों को पालन नही किया गया है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा शमन मानचित्र प्रस्तुत किए जाने का प्रश्न है वह सीलिंग आदेश निर्गत होने के बाद प्रस्तुत किया गया है।

शिकायतकर्ता विपिन नैयर स्वयं उपस्थित उनके द्वारा कथन किया गया कि प्रश्गनत निर्माण गंगा नदी से 100 मीटर के प्रतिबंधित जोन के अन्तर्गत है तथा ठोस अपशिष्ठ व सीवरेज की कोई व्यवस्था नही होने के कारण प्रश्नगत प्रकरण से संबधित मामला एन0जी0टी0 में विचाराधीन है।

प्रकरण के अवलोकन से विदित है कि प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी नितिन देव पुत्र श्री देवराज, 232/4 आस्था पथ दुर्गा माता मंदिर के पीछे, गंगा विहार कालोनी, ऋषिकेश में स्थल पर लगभग 15 फिट गुणा 25 फिट क्षेत्रफल में भूतल तथा प्रथम तल का निर्माण, जिसमें वर्तमान में हाईड आउट कैफे का संचालन किये जाने के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2013 के तहत वाद योजित करते हुए धारा 27 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए पक्ष रखने हेतु दिनांक 11–01–2022 की तिथि नियत की गई।

न्यायालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल शिविर देहरादून

तदुपरानत भी अपीलार्थी को प्राधिकरण में पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय प्रदान किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्राधिकरण के समक्ष स्थल पर हुए निर्माण के कई वर्ष पुराने एवं प्राधिकरण से कोई स्वीकृत मानचित्र के संबध में कोई संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया, जिसके कारण प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत निर्माण को सील करने के आलोच्य आदेश पारित किए गए हैं, जो कि एक निरोधात्मक कार्यवाही है और विधि सम्मत है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नही है।

जहां तक अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि वह निर्माण को शमन कराने के लिए तैयार है तथा इस हेतु अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20–05–2024 को शमन मानचित्र ऑनलाईन के माध्यम आवेदित किया गया है। इस हेतु प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र का प्राधिकरण के बायॅलॉज व विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत परीक्षण करते हुए एक सप्ताह में शमन मानचित्र का विधिवत निस्तारण करे। आदेश की प्रति प्राधिकरण को प्रेषित की जाय। इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित हो।

(न्यायालय आयुक्त, गढ़वाल शिविर देहरादून)

दिनांकः 29–05–2024

(विनय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त / अध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

₹10 UTTARAKHAND COURT FEE CANCELLED

CANCELLED UTTARAKHAND COURT FEE UKCT3015409D2402M 30-APR-2024

₹1 CANCELLED

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार 15/6/24
आयुक्त
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
कैम्प देहरादून

CF–3

प्रतिलिपिकार..........
तुलनाकार ....
फैसला दिनांक 29-5-2024
प्रांर्थना पत्र देने की तिथि 15-06-24
नकल जारी करने की तिथि 15-06-24

(33)

न्यायालय आयुक्त/अध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।

अपील संख्या— 125 /2023—24

अन्तर्गत धारा 28क (4) उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम

श्री नितिन देव बनाम सचिव, एम0डी0डी0ए0

नकल संशोधन आदेश दि0-01-06-2024

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा ऋषिकेश द्वारा पारित आदेश पत्रांक 2284/वाद संख्या सी—0003/2022 दिनांक 16—05—2024 के विरूद्व योजित उक्त अपील में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29—05—20215 में आदेश पारित किए गए।

अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक 01—06—2024 को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अपील में सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा खुले न्यायालय में यह उद्घोषित किया गया था कि " यदि प्राधिकरण एक सप्ताह में शमन मानचित्र का निस्तारण करने में विफल रहता है तो प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16—05—2024 स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा तथा सम्पत्ति को प्राधिकरण सीलमुक्त करेगा।" उक्त पंक्ति आदेश टंकण में छूट गई है, जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक है।

अतः इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 29—05—2024 के पृष्ठ—2 के अंतिम पैरा के पांचवी पंक्ति में "शमन मानचित्र का विधिवत निस्तारण करे", के पश्चात यह संयोजित किया जाता है कि "यदि प्राधिकरण एक सप्ताह में शमन मानचित्र का निस्तारण करने में विफल रहता है तो प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16—05—2024 स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा तथा सम्पत्ति को प्राधिकरण सीलमुक्त करेगा।"

उपरोक्त आदेश दिनांक 29—05—2024 उक्त सीमा तक संशोधित किया ज़ाता है। आदेश की प्रति प्राधिकरण को प्रेषित हो तथा पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित हो।

न्यायालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल शिविर देहरादून

दिनांक: 01—06—2024

(विनय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त/अध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

₹10 UTTARAKHAND COURT FEE UKCT100317D...58 10-APR-20.. CANCELLED

₹ UTTARAKHAND COURT FEE UKCT3015402D2402M 30-APR-2024 CANCELLED

₹1 UTTARAKHAND COURT FEE UKCT06...59D... 08-APR... CANCELLED

सत्य प्रतिलिपि
15/6/24
पेशकार
आयुक्त
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
कैम्प देहरादून

प्रतिलिपिकार..........
तुलनाकार ....
फैसला दिनांक 1-6-2024
प्रार्थना पत्र देने की तिथि 15-6-24
नकल जारी करने की तिथि 15-6-24

CF-3
2-13.00

34

न्यायालय आयुक्त/अध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।

अपील संख्या–151/2023–24 अन्तर्गत धारा 28क (4) उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम

होटल गंगा फारेस्ट व्यू बनाम सचिव, एम0डी0डी0ए0

नकल निर्णय दि०– 11-06-2024

प्रश्नगत अपील उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा ऋषिकेश द्वारा पारित आदेश पत्रांक 2283/वाद संख्या सी–0001/2022 दिनांक 16–05–2024 के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0 1328/2024 होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू बनाम एम0डी0डी0ए0 आदि प्रस्तुत की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनाक 24–05–2024 को निम्नवत आदेश पारित किए गए है:–

"---Accordingly, thr writ petititon is disposed of with liberty to petitioner to approch the Appellate Authorty and the Appellate Authority shall decide the Appeal within four weeks from the date of filing of Appeal. Interim relief application, if any, filed by petitioner shall be decided, within two weeks of its filing. Petitioner shall be permitted to remove only perishable goods from the premises, within 24 hours....."

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के कम में अपीलार्थी द्वारा प्राधिकरण द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 16–05–2024 के कम में अपील प्रस्तुत की गई है।

पक्षों के वि0 अधिवक्ताओं को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के वि0 अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्राधिकरण का आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति जो कि पूर्व निर्मित थी को पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 06–09–2018 के द्वारा कय किया गया है। अपीलार्थी ने उक्त सम्पत्ति कय के उपरान्त कोई निर्माण नही किया गया। पूर्व में उक्त क्षेत्र हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आता था जो कि वर्तमान में एम0डी0डी0ए0 के तहत है द्वारा प्रथम नोटिस दिनांक 05–01–2022 को दिया तथा अंतिम नोटिस दिनांक 06–05–2024 को दिया गया, जो कि नव निर्माण के संबंध में है, जबकि स्थल पर कोई नव निर्माण नही किया जा रहा है, इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा नोटिस विधि के विपरीत है। प्राधिकरण द्वारा इस तथ्य का संज्ञान भी नही लिया कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा रिट याचिका सं0 229/2022 होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू बनाम उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम व अन्य में आदेश दिनांक 01–02–2022 के द्वारा यथास्थिति के आदेश पारित किए गए हैं। शिकायतकर्ता श्री विपिन नैयर का प्रश्नगत मामले से कोई वास्ता नही है। श्री विपिन नैयर द्वारा उक्त रिट याचिका में intervention application प्रस्तुत की गई, जिसे कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09–01–2023 के द्वारा निरस्त किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्व विपिन नैयर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में स्पेशन अपील सं0 24/2023 योजित की गई, जो कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04–07–2023 के द्वारा निरस्त कर दी गई और यह अवधारित किया कि श्री विपिन नैयर उक्त प्रकरण हेतु आवश्यक व उचित पक्षकार नही है। शिकायतकर्ता अपीलार्थी को तंग व परेशान करता रहा है जिसने अपीलार्थी की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विरूद्व शिकायत की थी, जिन्होने अपीलार्थी को कारण बाताओ नोटिस दिया था, जिस पर विधिवत सुनवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस दिनांक 07–11–2022 को आदेश दिनांक 21–03–2024 के द्वारा निरस्त किया गया। शिकायकर्ता द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में शिकायत की गई जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्राधिकरण द्वारा दिर्नाक 06–05–2024 को एक नोटिस जारी करते हुए अपीलार्थी को दिनांक 16–05–2024 को प्राधिकरण में उपस्थित होकर पक्ष रखने हेतु कहा गया, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अपना प्रतिउत्तर एवं अन्य दस्तावेज प्राधिकरण में प्रस्तुत किए, जिसका कोई संज्ञान प्राधिकरण द्वारा नही लिया गया और उसी दिन ही सम्पत्ति को सील कर दिया गया तदुपरानत सील का आदेश भी दिनांक 16–05–2024 को पारित किया गया जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार करने एवं आलोच्य आदेश को निरस्त कर सम्पत्ति को सीलमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण के वि0 अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि स्थल पर किये गये निर्माण कार्य की कोई स्वीकृति/अनुमति प्राधिकरण से नही ली गई। प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी को जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया, लेकिन प्राधिकरण के समक्ष कोई स्वीकृत मानचित्र एवं निर्माण के कई वर्ष पूर्व होने के संबंध में कोई साक्ष्य अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत नही किया गया। उक्त होटल के गंगा नदी से 100 मीटर की प्रतिबंधित क्षेत्र में होने तथा होटल में ठोस अपशिष्ट/सीवरेज के संबंध में एन0जी0टी0 के नियमों को पालन नही किया गया है। वर्तमान में भी अपीलार्थी द्वारा कोई शमन मानचित्र प्रस्तुत नही किया गया, जिसके कारण प्राधिकरण द्वारा चालनशुदा निर्माण के सील का आदेश पारित किया गया, जो कि उचित है।

प्रकरण में श्री विपिन नैयर की ओर से दिनांक 25–05–2024 को कैविएट प्रस्तुत किया गया अतः मामले में केविएटर/शिकायतकर्ता श्री विपिन नैयर स्वयं उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा कथन किया गया कि एन0जी0टी0 के निर्देशों के क्रम में ही प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की गई है। प्रकरण एन0जी0टी0 में लम्बित होने के कारण प्रश्नगत अपील को सुनवाई का क्षेत्राधिकार महोदय के न्यायालय को नही है। उक्त के अतिरिक्त कथन किया गया कि प्रश्नगत निर्माण गंगा नदी के प्रतिबंधित जोन के अन्तर्गत है तथा ठोस अपशिष्ठ व सीवरेज की कोई व्यवस्था अपीलार्थी द्वारा नही की गई।

प्रकरण के अवलोकन से विदित है कि प्राधिकरण द्वारा होटल गंगा फोरेस्ट व्यू 86, 86/1 गली नं0 6, वीरभद्र मार्ग ऋषिकेश जिला देहरादून में स्थल पर लगभग 28 फिट गुणा 55 फिट क्षेत्रफल में चार मंजिले भवन का निर्माण जिसमें कि वर्तमान में "होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू" का संचालन किया जा रहा है के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2013 के तहत वाद योजित करते हुए धारा 27 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए पक्ष रखने हेतु दिनांक 11–01–2022 की तिथि नियत करते हुए अपीलार्थी को समय प्रदान किया गया। प्राधिकरण द्वारा आलोच्य आदेश में भी उल्लेख किया गया है कि कार्यालय के पत्रांक दिनांक 13–01–2023 के द्वारा सूचित करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 20–01–2023 की तिथी नियत की गई, जिसमें अपीलीार्थी उपस्थित हुए तथा तिथि की मांग की गई एवं दिनांक 03–02–2023 को विक्रय पत्र आदि अभिलेख प्राधिकरण में प्रस्तुत किए गए लेकिन निर्माण से संबधित कोई स्वीकृति/शमन मानचित्र प्रस्तुत नही किया गया। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06–05–2024 को भी कारण नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 16–05–2024 की तिथि नियत की गई, उक्त तिथि पर भी अपीलार्थी द्वारा प्राधिकरण के समक्ष स्थल पर हुए निर्माण के प्राधिकरण से कोई स्वीकृत मानचित्र के संबध में कोई संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है तथा बिना प्राधिकरण की अनुमति के स्थल पर किया हुआ निर्माण/विकास कार्य अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी में आता है, जिसके विरूद्ध कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार प्राधिकरण में निहित है। अपीलार्थी को प्राधिकरण के समक्ष सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ है तथा सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत निर्माण को सील करने के आलोच्य आदेश पारित किए गए हैं, जो कि एक निरोधात्मक कार्यवाही है और विधि सम्मत है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नही है। अतः अपील बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति सहित प्राधिकरण को प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित हो।

दिनांक:

11/06/24
(विनय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त/अध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

सत्य प्रतिलिपि
26/06/24
पेशकार
आयुक्त
गढ़वाल मण्डल, पौढ़ी
कैम्प देहरादून

आयुक्त, गढ़वाल मण्डल
शिविर देहरादून

36

न्यायालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल
शिविर देहरादून

₹1
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT0032868D2410
06-APR-2024

CANCELLED

₹2
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT3015407D2402M
30-APR-2024

CANCELLED

₹10
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT0821316D2427L
06-APR-2024

CANCELLED

cf=03
Rs= 13

प्रतिलिपिकार..........................
तुलनाकार ....
फैसला दिनांक 11-06-2024
प्रार्थना पत्र देने की तिथि 26-06-2024
नकल जारी करने की तिथि 26-06-2024

ANNEXURE A-6

(37)

प्रेषक सहायक अभियन्ता–प्रथम
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रेषित:– श्री नितिन देव
हाईड आउट कैफे,
232/4 गंगा विहार कॉलोनी,
ऋषिकेश, उत्तराखण्ड

पत्रांक:– 239 /स०अ०प्र०/सि०ख०दे० दिनांक :– 27/5/2024

विषय:– गंगा नदी के मध्य से दूरी के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– आपका पत्रांक शून्य, दिनांक 25/05/2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमे आप द्वारा अवगत कराया गया है कि 232/4 गंगा विहार कॉलोनी, ऋषिकेश स्थित आपकी संपत्ति हाईड आउट कैफे के मानचित्र की स्वीकृति हेतु आप द्वारा एम०डी०डी०ए० के समक्ष मानचित्र संख्या CC/0021/21–25 आवेदित किया गया है, जिसके मानचित्र की स्वीकृति हेतु इस कार्यालय से मानचित्र स्थल की गंगा नदी के मध्य से दूरी की सूचना चाही गयी है।

इसी क्रम में इस कार्यालय से श्री कुलदीप सिंह, अपर सहायक अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि वर्तमान में मानचित्र स्थल हाईड आउट कैफे को उपजिलाधिकारी ऋषिकेश द्वारा सीलिंग आदेश पारित किये गए हैं। उक्त संपत्ति के आस्था पथ के समीप गेट से मानचित्र स्थल कंट्रीसाइड की ओर कुछ दूरी पर निर्मित है। निरीक्षण में पाया गया कि जिस स्थान से गंगा नदी बह रही है, उसको नदी का बहाव क्षेत्र मानते हुए विषयगत भू–भाग की गंगा नदी के मध्य से 548 मी० हवाई दूरी पायी गयी। यह भी अवगतनीय है कि उक्त सम्पत्ति की परिधि गंगा नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के प्रतिबंधित जोन (25 वर्ष आवृत्ति बाढ़ क्षेत्र) एवं निर्बन्धित जोन (100 वर्ष बाढ़ आवृत्ति बाढ़ क्षेत्र) की सीमा से बाहर है।

अतः उपरोक्तानुसार दूरी की सूचना मात्र इस कार्यालय को प्रस्तुत आवेदन में वर्णित प्रयोजन हेतु निर्गत की जाती है जिसके पश्चात प्रश्नगत निर्माण की स्वीकृति की अग्रेत्तर कार्यवाही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के स्तर से ही की जानी है।

भवदीय

(signature)
सहायक अभियन्ता–प्रथम
सिंचाई खण्ड, देहरादून

पत्रांक : /स०अ०प्र०/सि०ख०दे०/तद्दिनांक
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता–प्रथम
सिंचाई खण्ड, देहरादून

(38)

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता–प्रथम
उपखण्ड ऋषिकेश
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रेषित,

सहायक अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
शाखा–कार्यालय, ऋषिकेश

पत्रांकः–298 /स०अ०प्र०/सिं०ख०दे० दिनांकः–27/06/2024

विषयः– श्री नितिन देव, हाईड आउट कैफे, 232/04 गंगा विहार कालोनी, ऋषिकेश द्वारा आवेदित मानचित्र सं० CC/0021/21-25 की गंगा नदी के तट एवं मध्य से दूरी के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 239/स०अ०प्र०/सि०ख०दे०, दिनांक 27/05/2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र (संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें श्री नितिन देव, हाईड आउट कैफे, 232/04 गंगा विहार कालोनी, ऋषिकेश को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन के क्रम में इस कार्यालय द्वारा गंगा नदी के मध्य से दूरी की सूचना निर्गत की गयी। आवेदनकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी सम्पत्ति हाईड आउट कैफे के मानचित्र सं० CC/0021/21-25 की स्वीकृति हेतु मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के समक्ष आवेदित किया गया है जिसके लिए उनको उक्त मानचित्र स्थल की गंगा नदी के मध्य से दूरी की आवश्यकता है (संलग्न) तदोपरान्त कार्यस्थल के निरीक्षण के क्रम में उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से दूरी की सूचना निर्गत की गयी थी।

चूंकि उक्त प्रकरण प्राधिकरण से सम्बन्धित है, अतः इस पत्र के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना है कि इस कार्यालय से सम्बन्धित अपर सहायक अभियन्ता द्वारा उपरोक्त मानचित्र स्थल हाईड आउट कैफे के स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि निरीक्षण की तिथि में उक्त कैफे उपजिलाधिकारी महोदया ऋषिकेश के आदेशों के क्रम में सील पाया गया। उक्त सम्पत्ति के आस्था पथ से लगते हुए गेट से मानचित्र स्थल कन्ट्री साईड की ओर कुछ दूरी पर निर्मित है। जिस स्थान से गंगा नदी बह रही है उसको नदी का बहाव क्षेत्र मानते हुए विषयगत भू–भाग की गंगा नदी के तट से हवाई दूरी 09 मी० पायी गयी एवं गंगा नदी के मध्य से 548 मी० हवाई दूरी पायी गयी। उक्त मानचित्र स्थल गंगा नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्र के प्रतिबन्धित जोन एवं निर्बन्धित जोन से बाहर निर्मित है। उपरोक्त कैफे के मानचित्र का निर्णय सुसंगत शासनादेशों एवं माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में आपके स्तर से ही किया जाना है।

अतः उक्त प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु मय संलग्नक आपको प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

सहायक अभियन्ता–प्रथम
सिंचाई खण्ड, देहरादून

पत्रांकः–298 /अ०अ०/सिं०ख०दे०/तददिनांक।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता–प्रथम
सिंचाई खण्ड, देहरादून

515 ANNEXURE A-7 (39)

VIPIN NAYYAR || OPPOSITE PARTY || 8006286662 || 21-07-2024 07:48:47 AM

Lp+xjH/T

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

WPMS NO. 1468 OF 2024

DISTRICT: DEHRADUN

1 - HOTEL GANGA FOREST VIEW
2 - SMT RAMA ARORA

.... Petitioner

Versus.

1 - MUSSOORIE DEHRADUN DEVELOPMENT AUTHORITY
2 - ASSISTANT ENGINEER
3 - SUB DIVISIONAL MAGISTRATE
4 - SECRETARY
5 - DISTRICT MAGISTRATE

.... Respondent

Petitioner Advocate: NEERAJ GARG

Respondent Advocate: RAHUL CONSUL

THE SEAL OF HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

21-07-2024

No	Date	Office Notes, reports, orders or proceedings or directions and Registrar's order with Signatures	COURT'S OR JUDGES'S ORDERS
			WPMS No.1468 of 2024 **<u>Hon'ble Manoj Kumar Tiwari, J.</u>** Mr. Neeraj Garg and Mr. Rajendra Arya, Advocates for the petitioner. Mr. Rahul Consul, Advocate for M.D.D.A. Mr. Suyash Pant, Standing Counsel for the State of Uttarakhand. 2. By means of this writ petition, petitioner has challenged a notice dated 30.05.2024 issued by Assistant Engineer, M.D.D.A., Branch Office Rishikesh, District Dehradun. By the said notice, petitioner has been called upon to show cause on or before 13.06.2024 as to why construction raised by him be not demolished. 3. Learned counsel for the petitioner submits that M.D.D.A. is bent upon to demolish the building of the petitioner, which he purchased from M/s Express Towers Pvt. Ltd. 4. Be that as it may, since petitioner has challenged a show cause notice, therefore, he may have his say before the competent authority. Thus, this Court is not inclined to interfere in the matter. 5. Accordingly, the writ petition is disposed of with liberty to petitioner to submit his reply before the competent authority on or before 18.06.2024. The competent authority shall consider

			petitioner's reply and pass appropriate order, as per law, within three weeks thereafter. Any order adverse to the interest of the petitioner, if passed, shall not be implemented before the time prescribed under Section 27(1) of Uttarakhand Urban and Country Planning and Development Act, 1973, in order to have judicial recourse to the petitioner against the said order. **(Manoj Kumar Tiwari, J.)** 11.06.2024 *Arpan*

ANNEXURE A-8

(42)

न्यायालय आयुक्त/अध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।

रिकॉल प्रार्थना पत्र सं0 165/2023-24 (मूल अपील सं0 151/2023-24)

होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू बनाम एम0डी0डी0ए0

निस्तारण रिकॉल प्रार्थना पत्र दिनांक 24-06-2024

नकल निर्णय दि0-15-07-2024

आवेदक श्री विपिन नैयर द्वारा प्रश्नगत रिकॉल आवेदन, आदेश दिनांक दिनांक 11-06-2024 जो कि न्यायालय द्वारा अपील संख्या 151/2023-24 गंगा फॉरेस्ट व्यू बनाम एम0डी0डी0ए में पारित किए गए है के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक श्री विपिन नैयर द्वारा कहा गया कि मामला दिनांक 13-06-2022 से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष अपीलार्थी गंगा फॉरेस्ट व्यू के गंगा नदी के तट से लगते हुए आवासीय क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधि हेतु अनाधिकृत निर्माण के संबंध में विचाराधीन है। आवेदक द्वारा उक्त वाद पत्र/शपथ पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की गई है। आवेदक द्वारा यह भी कथन किया गया है कि एन0जी0टी0 एक्ट 2010 की धारा 19(4) के अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सी0पी0सी0 1908 के अन्तर्गत एक सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं और आवेदक द्वारा उक्त वाद में एक अन्तरवादीय प्रार्थना पत्र संख्या 311/2022 दिनांक 29-11-2022 को प्रेषित किया गया था, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि जिलाधिकारी, देहरादून को विषयगत निर्माण को सील करने हेतु कहा जाय। विषयगत निर्माण को एन0जी0टी0 के वाद के अनुक्रम में ही सील किया गया है, जिसके साक्ष्य में आवेदक द्वारा जिला प्रशासन के कई दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। आवेदक का यह भी कहना है कि अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर तथ्यों को छिपाते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष आया है और जबकि विधि व्यवस्था स्थापित है कि suppressio vari is suggestio falsi के अनुसार मा0 न्यायालय के समक्ष तथ्यों का छिपाया जाना झूठ बोलने के बराबर है। आवेदक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मा0 महोदय, आयुक्त/अध्यक्ष एम0डी0डी0ए0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या-5 के रूप में पक्षकार है और जिसके कारण वह उक्त अपील में स्वयं सुनवाई नही कर सकते थे। समवर्ती क्षेत्राधिकार के दो न्यायालय एक ही कारण उदय से संबंधित मामले की एक साथ सुनवाई नही कर सकते है, जो कि कानूनी रूप से सी0पी0सी0 की धारा 10 से वर्जित है। अतः उक्त आधार पर रिकॉल प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं आदेश दिनांक 11-06-2024 को अपास्त करने का अनुरोध किया गया। अपने कथनो के पक्ष में आवेदक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद द्वारका दास बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य (1999) 3 सुप्रीम कोर्ट केस 500 वाद इण्डियन बैंक बनाम सत्यम फाईबर्स इण्डिया प्रा0लि0 (1996) 5 सुप्रीम कोर्ट केस 550 व उमानाथ पाण्डेय आदि बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य (2009)12 सुप्रीम कोर्ट केस 40 की विधिक व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गई।

आयुक्त, गढ़वाल मण्डल शिविर देहरादून

आवेदक श्री विपिन नैयर द्वारा प्रस्तुत रिकॉल प्रार्थना पत्र के विरूद्ध अपीलार्थी के वि0 अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सील आदेश दिनांक 16-05-2024 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका सं0 1328/2024 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका का निस्तारण करते हुए उन्हे अपील प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जिसके कम में उक्त अपील की सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा अपील में आदेश दिनांक 11-06-2024 पारित कर अपील को निरस्त किया गया है। मा0 न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अपनी पूर्ण संतुष्टि से आदेश दिनांक 11-06-2024 प्रार्थी विपिन नैयर को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुपालनार्थ अपील का निस्तारण किया गया था। प्रार्थी के द्वारा न्यायालय को सदेव गुमराह करने का प्रयास किया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जबकि एन0जी0टी0 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसा कोई आदेश पारित नही किया गया। प्रार्थी को उक्त

आदेश के विरूद्ध उत्तराखण्ड हाउसिंग अर्बन डेवलम्पमैन्ट ऑथोरिटी देहरादून के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिए थी। प्ररन्तु इसके द्वारा उक्त रिकॉल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो कि तंग एवं परेशान करने की नियत से है। प्रार्थी का उक्त प्रकरण में कोई LOCUS STANDI नही है। प्रार्थी का यह कहना भी गलत है कि न्यायालय के समक्ष सारवान तथ्यों को छिपाया गया। अतः प्रार्थी का रिकॉल प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

मेरे द्वारा दोनों पक्षों के वि0 अधिवक्ताओं की बहस को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखने मात्र से यह परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0 1328/2024 होटल गंगा फॉरेस्ट व्यू बनाम एम0डी0डी0ए0 आदि प्रस्तुत की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 24-05-2024 को निम्नवत आदेश पारित किए गए है:-

"---Accordingly, thr writ petititon is disposed of with liberty to petitioner to approch the Appellate Authorty and the Appellate Authority shall decide the Appeal within four weeks from the date of filing of Appeal. Interim relief application, if any, filed by petitioner shall be decided, within two weeks of its filing....."

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के कम में अपीलार्थी द्वारा प्राधिकरण द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 16-05-2024 के कम में अपील प्रस्तुत की गई है तथा उसके कम में दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरान्त आदेश दिनांक 11-06-2024 पारित किया गया, जबकि आयुक्त/अध्यक्ष, मसूरी देहरादून, विकास प्राधिकरण स्वयं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष लम्बित वाद संख्या 463/2022 विपिन नैयर बनाम भारत संघ में प्रत्यर्थी सं0-5 है। उक्त प्रकरण वर्तमान में भी मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष लंबित है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत करते समय इस तथ्य को छिपया गया कि आयुक्त/अध्यक्ष मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के समक्ष स्वयं पक्षकार है। न्यायालय द्वारा सद्भावी रूप से अपील में सभी पक्षों को सुनवाई के उपरान्त आलोच्य आदेश दिनांक 11-06-2024 पारित किया है। दोनों ही पक्षों के द्वारा उक्त सारवान तथ्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। जहां तक न्यायालय को अपने ही द्वारा पारित आदेश के रिकॉल किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में आवेदक द्वारा विधि व्यवस्था मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद इण्डियन बैंक बनाम सत्यम फाईबर्स इण्डिया प्रा0लि0 (1996) 5 सुप्रीम कोर्ट केस 550 प्रस्तुत की गई है जिसमें यह व्यवस्था स्थापित की गई है कि कोई भी अर्द्धन्यायिक/न्यायिक संवैधानिक/प्रशासनिक और प्राधिकरण न्यायालय को अपने आदेश को रिकॉल करने की शक्तियां प्राप्त है, जो कि पैरा संख्या 20 में स्पष्ट किया गया है कि:-

" ..This plea could not have been legally ignored by the commission which needs to be reminded that the authourities, be they constitutional, staturory or administrative, (and particularly those who have to decide a lis) possess the power to recall their judgments or orders if they are obtained by fraud as fraud and justice never dwell together......" तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत के पैरा न0 23 में स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय को अपने आदेश को रिकॉल कर अपास्त करने की अर्न्तनिहित शक्तियां प्राप्त है यदि ऐसा आदेश न्यायालय को धोखा देकर लिया गया है।

"23. Since fraud affects the solemnity, regularity and orderliness of the proceedings of the court and also amounts to an abuse of the process of court, the courts have been held to have inherent power to set aside an order obtained by fraud practised upon that court. Similarly, where the court is misled by a party or the court itself commits a mistake which prejudices a party, the court has the inherent power to recall its order.

उक्त विधिक व्यवस्था से न्यायालय पूर्णतः सहमत है। न्यायालय का भी मत है कि यदि कोई आदेश कपटपूर्वक व सारवान तथ्यों को छिपाकर पारित कराया जाता है तो ऐस आदेश को स्थिर नही रखना चाहिए अन्यथा न्याय की हानि होगी। वैसे भी यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय केवल होना ही नही चाहिए, अपितु दिखना भी चाहिए। न्यायालय की दृष्टि में क्योंकि आयुक्त/अध्यक्ष, मसूरी देहरादून, विकास प्राधिकरण स्वयं पक्षकार है और मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा उमानाथ पाण्डेय आदि बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य (2009)12 सुप्रीम कोर्ट केस 40 में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को वर्णित करते हुए पैरा न0-16 में स्पष्ट किया गया है कि " no man ought to be a judge in his own case, because he can not act as Judge and at the same time be a party."

उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस मत पर पहुँचता है कि न्यायालय के द्वारा मूल अपील संख्या 151/23-24 गंगा फॉरेस्ट व्यू बनाम एम0डी0डी0ए0 को स्वयं नही सुन सकता था। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिकॉल प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है एवं न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-06-2024 अपास्त किए जाना उचित होगा। फलस्वरूप निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में आवेदक विपिन नैयर द्वारा प्रस्तुत रिकॉल प्रार्थना पत्र दिनांक 24-06-2024 स्वीकार किया जाता है तथा अपील संख्या 151/2023-24 गंगा फॉरेस्ट व्यू बनाम सचिव एम0डी0डी0ए0 में पारित आदेश दिनांक 11-06-2024 अपास्त किया जाता है। मूल अपील पर सुनवाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल अपील सम्पूर्ण पत्रावली सहित सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जाती है।

दिनांक 15-07-2024

(विनय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त/अध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आयुक्त, गढ़वाल मण्डल शिविर देहरादून

₹5 UTTARAKHAND COURT FEE UKCT2616948P2454K 26-JUN-2024 CANCELLED

₹1 UTTARAKHAND COURT FEE UKCT0632669D2416L 06-APR-2024 CANCELLED

₹1 UTTARAKHAND COURT FEE UKCT0632663D2416L 06-APR-2024 CANCELLED

CF-3
2-7

सत्यप्रति 19/07/2024

अहलमद
न्यायालय आयुक्त
गढ़वाल मण्डल
शिविर देहरादून

प्रतिलिपिकार..........
तुलनाकार ....
फैसला दिनांक 15-7-2024
प्रार्थना पत्र देने की तिथि 17-7-2024
नकल जारी करने की तिथि 19-7-2024

(45)

न्यायालय आयुक्त/अध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।

रिकॉल प्रार्थना पत्र सं0 166/2023-24 (मूल अपील सं0 125/2023-24)

श्री नितन देव बनाम एम0डी0डी0ए0

निस्तारण रिकॉल प्रार्थना पत्र दिनांक 24-06-2024

नकल निर्णय दि0-15-07-2024

आवेदक श्री विपिन नैयर द्वारा प्रश्नगत रिकॉल आवेदन, आदेश दिनांक 29-05-2024 व संशोधित आदेश दिनांक 01-06-2024 जो कि न्यायालय द्वारा अपील संख्या 125/2023-24 नितिन देव बनाम एम0डी0डी0ए में पारित किए गए है के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक श्री विपिन नैयर द्वारा कहा गया कि मामला दिनांक 13-06-2022 से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष अपीलार्थी नितिन देव स्वामी हाईड आउट कैफे के गंगा नदी के तट से लगते हुए आवासीय क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधी हेतु अनाधिकृत निर्माण के संबंध में विचाराधीन है। आवेदक द्वारा उक्त वाद पत्र/शपथ पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की गई है। आवेदक द्वारा यह भी कथन किया गया है कि एन0जी0टी0 एक्ट 2010 की धारा 19(4) के अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सी0पी0सी0 1908 के अन्तर्गत एक सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं और आवेदक द्वारा उक्त वाद में एक अन्तरवादीय प्रार्थना पत्र संख्या 311/2022 दिनांक 29-11-2022 को प्रेषित किया गया था, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि जिलाधिकारी, देहरादून को विषयगत निर्माण को सील करने हेतु कहा जाय। विषयगत निर्माण को एन0जी0टी0 के वाद के अनुक्रम में ही सील किया गया है, जिसके साक्ष्य में आवेदक द्वारा जिला प्रशासन के कई दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। आवेदक का यह भी कहना है कि अपीलार्थी नितिन देव जानबूझकर तथ्यों को छिपाते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष आया है और मा0 न्यायालय को गुमराह कर धोखा देते हुए आदेश प्राप्त किए गए हैं, इसके अनुक्रम में यह भी बताया गया कि यह विधि व्यवस्था स्थापित है suppressio vari is suggestio falsi के अनुसार मा0 न्यायालय के समक्ष तथ्यों का छिपाया जाना झूठ बोलने के बराबर है। आवेदक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मा0 महोदय, आयुक्त/अध्यक्ष एम0डी0डी0ए0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या-5 के रूप में पक्षकार है और जिसके कारण वह उक्त अपील में स्वयं सुनवाई नही कर सकते थे। समवर्ती क्षेत्राधिकार के दो न्यायालय एक ही कारण उदय से संबंधित मामले की एक साथ सुनवाई नही कर सकते है, जो कि कानूनी रूप से सी0पी0सी0 की धारा 10 से वर्जित है। आवेदक द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि शमन मानचित्र को 07 दिनों में निस्तारित करने का आदेश मा0 न्यायालय के समक्ष धोखा देकर लिया गया है, क्योंकि दिनांक 29-05-2024 तक अपीलार्थी नितिन देव द्वारा शमन मानचित्र हेतु जरूरी अनापत्तियां प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नही की गई थी और यह बात महत्वपूर्ण थी कि इस प्रकार का आदेश प्राप्त करने से पूर्व अपीलार्थी को अपने शमन मानचित्र की सम्पूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेना आवश्यक था। अपीलार्थी द्वारा सी0पी0सी0 की धारा 151 व 152 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय से संशोधित आदेश दिनांक 01-06-2024 प्राप्त करने का कोई आधार नही था, जो कि धोखे से प्राप्त किया गया है। अतः उक्त आधार पर रिकॉल प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं आदेश दिनांक 29-05-2024 व 01-06-2024 को अपास्त करने का अनुरोध किया गया। अपने कथनो के पक्ष में आवेदक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद द्वारका दास बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य (1999) 3 सुप्रीम कोर्ट केस 500 वाद इण्डियन बैंक बनाम सत्यम फाईबर्स इण्डिया प्रा0लि0 (1996) 5 सुप्रीम कोर्ट केस 550 व उमानाथ पाण्डेय आदि बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य (2009)12 सुप्रीम कोर्ट केस 40 की विधिक व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गई।

आवेदक श्री विपिन नैयर द्वारा प्रस्तुत रिकॉल प्रार्थना पत्र के विरूद्ध अपीलार्थी नितिन देव द्वारा अपनी आपत्ति दिनांक 11-07-2024 प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी के वि0 अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि उक्त रिकॉल प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई विधि नही है और केवल उत्पीड़न के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र

न्यायालय आयुक्त, गढ़वाल ... शिविर देहरादून

प्रस्तुत किया गया है। मा0 न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अपनी पूर्ण संतुष्टि से आदेश दिनांक 29-05-2024 व 01-06-2024 पारित किया है और मा0 न्यायालय का यह मत था कि अपीलार्थी की संपत्ति को सीलमुक्त किया जाना चाहिए। मा0 न्यायालय ने विपिन नैयरं को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुपालनार्थ अपील का निस्तारण किया गया था। प्रार्थी के द्वारा न्यायालय को सदैव गुमराह करने का प्रयास किया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जबकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसा कोई आदेश पारित नही किया गया। प्रार्थी के द्वारा अवैध रूप से रिकॉल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जोकि विधि सम्मत नही है। प्रार्थी के द्वारा ऐसी कोई विधि कथित नही की है जो यह दर्शाती हो कि मा0 न्यायालय को अपना ही आदेश रिकॉल करने की शक्ति है। मा0 न्यायालय का आदेश दिनांक 29-05-2024 व 01-06-2024 वास्तव में अतिंम व सुव्यक्त आदेश है। प्रार्थी विपिन नयर ने किस प्रावधान के अन्तर्गत रिकॉल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसे वर्णित नही किया है। प्रार्थी को उक्त आदेशों के विरूद्ध उत्तराखण्ड हाउसिंग अर्बन डेवलम्पमैन्ट ऑथोरिटी देहरादून के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिए थी। परन्तु इसके द्वारा उक्त रिकॉल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी का उक्त प्रकरण में कोई LOCUS STANDI नही है। प्रार्थी के द्वारा मात्र अपनी नीजि द्वेष को सन्तुष्ट करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जोकि आधारहीन व विधिविरूद्ध है, प्रार्थी अपील में अवश्यक पक्षकार भी नही है। प्रार्थी के द्वारा आदेश दिनांक 01-06-2024 को रिकॉल करने की याचना की है, जो कि स्वीकार्य नही है। यह कहना भी गतल है कि उक्त आदेश कपटपूर्ण ढंग से व सारवार तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गयाहै। उक्त आदेश न्यायालय द्वारा न्यायिक मरितष्क का प्रयोग कर पारित किया गया है, जो कि वैध है। अतः प्रार्थी का रिकॉल प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

मेरे द्वारा दोनों पक्षों के वि0 अधिवक्ताओं की बहस को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखने मात्र से यह परिलक्षित होता है कि आयुक्त/अध्यक्ष, मसूरी देहरादून, विकास प्राधिकरण स्वयं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष लम्बित वाद संख्या 463/2022 विपिन नैयर बनाम भारत संघ में प्रत्यर्थी सं0-5 है। उक्त प्रकरण वर्तमान में भी मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष लंबित है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत करते समय इस तथ्य को छिपया गया कि आयुक्त/अध्यक्ष मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के समक्ष स्वयं पक्षकार है और शमन मानचित्र को 07 दिनों में निस्तारित करने का आदेश प्राप्त करने से पूर्व शमन मानचित्र हेतु जरूरी अनापत्तियां प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नही की गई थी को भी छिपाया गया। न्यायालय द्वारा सद्‌भावी रूप से अपील में सभी पक्षों को सुनवाई के उपरान्त आलोच्य आदेश दिनांक 29-05-2024 व 01-06-2024 पारित किया है। दोनों ही पक्षों के द्वारा उक्त सारवान तथ्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। जहां तक न्यायालय को अपने ही द्वारा पारित आदेश के रिकॉल किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में आवेदक द्वारा विधि व्यवस्था मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद इण्डियन बैंक बनाम सत्यम फाईबर्स इण्डिया प्रा0लि0 (1996) 5 सुप्रीम कोर्ट केस 550 प्रस्तुत की गई है जिसमें यह व्यवस्था स्थापित की गई है कि कोई भी अर्द्धन्यायिक/न्यायिक संवैधानिक/प्रशासनिक और प्राधिकरण न्यायालय को अपने आदेश को रिकॉल करने की शक्तियां प्राप्त है, जो कि पैरा संख्या 20 में स्पष्ट किया गया है कि:-

" ..This plea could not have been legally ignored by the commission which needs to be reminded that the authourities, be they constitutional, staturory or administrative, (and particularly those who have to decide a lis) possess the power to recall their judgments or orders if they are obtained by fraud as fraud and justice never dwell together......" तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत के पैरा न0 23 में स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय को अपने आदेश को रिकॉल कर अपास्त करने की अर्न्तनिहित शक्तियां प्राप्त है यदि ऐसा आदेश न्यायालय को धोखा देकर लिया गया है।

न्यायालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल शिविर देहरादून

(47)

"23. Since fraud affects the solemnity, regularity and orderliness of the proceedings of the court and also amounts to an abuse of the process of court, the courts have been held to have inherent power to set aside an order obtained by fraud practised upon that court. Similarly, where the court is misled by a party or the court itself commits a mistake which prejudices a party, the court has the inherent power to recall its order.

उक्त विधिक व्यवस्था से न्यायालय पूर्णतः सहमत है। न्यायालय का भी मत है कि यदि कोई आदेश कपटपूर्वक व सारवान तथ्यों को छिपाकर पारित कराया जाता है तो ऐस आदेश को स्थिर नही रखना चाहिए अन्यथा न्याय की हानि होगी। वैसे भी यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय केवल होना ही नही चाहिए, अपितु दिखना भी चाहिए। न्यायालय की दृष्टि में क्योंकि आयुक्त/अध्यक्ष, मसूरी देहरादून, विकास प्राधिकरण स्वयं पक्षकार है और मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा उमानाथ पाण्डेय आदि बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य (2009)12 सुप्रीम कोर्ट केस 40 में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को वर्णित करते हुए पैरा न0-16 में स्पष्ट किया गया है कि " no man ought to be a judge in his own case, because he can not act as Judge and at the same time be a party."

उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस मत पर पहुँचता है कि न्यायालय के द्वारा मूल अपील संख्या 125/23-24 नितिन देव बनाम एम0डी0डी0ए0 को स्वयं नही सुन सकता था। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिकॉल प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है एवं न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-05-2024 व 01-06-2024 अपास्त किए जाना उचित होगा। फलस्वरूप निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में आवेदक विपिन नैयर द्वारा प्रस्तुत रिकॉल प्रार्थना पत्र दिनांक 24-06-2024 स्वीकार किया जाता है तथा अपील संख्या 125/2023-24 नितिन देव बनाम सचिव एम0डी0डी0ए0 में पारित आदेश दिनांक 29-05-2024 व संशोधित आदेश दिनांक 01-06-2024 अपास्त किए जाते है। मूल अपील पर सुनवाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल अपील सम्पूर्ण पत्रावली सहित सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जाती है।

आयुक्त, गढ़वाल मण्डल न्यायालय शिविर देहरादून

दिनांक 15-07-2024

(विनय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त/अध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

₹5 CANCELLED
₹1 CANCELLED
₹1 CANCELLED

19/07/2024

अहलमद
न्यायालय आयुक्त
गढ़वाल मण्डल
शिविर देहरादून

प्रतिलिपिकार.........
तुलनाकार ....
फैसला दिनांक 15-7-24
प्रार्थना पत्र देने की तिथि 19-7-2024
नकल जारी करने की तिथि 19-7-2024

ANNEXURE A-9

(48)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय, एच–21, ऋशिलोक कालोनी, ऋशिकेष, जिला- देहरादून।

पत्रांक: 2398 , वाद संख्या–सी–0003/2022 दिनांक 08/07/2024

अनाधिकृत निर्माणकर्ता श्री नितिन देव पुत्र श्री देवराज,हाईड आऊट कैफे, 232/4, आस्था पथ,दुर्गा माता मंदिर के पीछे, गंगा विहार कालोनी ,ऋषिकेश, जिला देहरादून ।

–:आदेश:–

विपक्षी द्वारा 232/4, आस्था पथ दुर्गा माता मंदिर के पीछे, गंगा विहार कालोनी , ऋषिकेश में स्थल पर लगभग 15फिट गुणा 25 फिट क्षेत्रफल में भूतल तथा प्रथम तल का निर्माण जिसमें वर्तमान में हाईड आऊट कैफे का संचालन किया जा रहा है, के विरूद्व उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2013 की धारा–27 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 05–01–2022 को निर्गत करते हुये पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11–01–2022 की तिथि नियत की गयी थी। उक्त के कम में आप द्वारा प्रस्तुत पत्र दि0 17–02–2022 में प्रश्नगत निर्माण कई वर्ष पूर्व का होने का उल्लेख करते हुए जारी नोटिस निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है किन्तु विपक्षी द्वारा निर्माण पुराना होने के संबंध में भी कोई साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिसके सम्बन्ध में विपक्षी को कार्यालय पत्रांक–08 दिनांक 01–04–2022 में निर्माण को सील/ध्वस्तीकरण का कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया । विपक्षी द्वारा स्थल पर लगभग 4.90मी गुणा 11.0मी0 की माप में भूतल व प्रथम तल पर निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त 6.0मी0 गुणा 2.5मी0 की माप में पाइपों की सहायता से टीनशेड का निर्माण किया गया है । उक्त स्थल पर हाईड आऊट कैफे का संचालन किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा पत्र दिनांक 13–01–2023 प्रस्तुत करते हुए अपनी सम्पत्ति को एन.जी.टी. के मानकों के हिसाब से बताया गया है तथा एन.जी.टी. के मानकों के विरूद्व कोई भी निर्माण नहीं करने का उल्लेख करते हुए अपना पक्ष रखने हेतु समय की मॉग की गयी परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक कोई साक्ष्य/स्वीकृत मानचित्र की प्रति आदि प्रस्तुत नहीं की गयी है जबकि प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनं 14–07–2023 नियत की गयी थी । नियत तिथि को विपक्षी अनुपस्थित रहें । तत्पश्चात विपक्षी को कार्यालय पंत्राक–1228 दिनांक 26–07–2023 एवं पंत्राक–1715 दिनांक 01–12–2023 के द्वारा भी सूचित किया गया। विपक्षी द्वारां बिना मानचित्र स्वीकृति के कैफे संचालित किया जा रहा था । प्रश्नगत प्रकरण माननीय एन0जी0टी0कोर्ट में विचाराधीन वाद मूल आवेदन संख्या–463/2022 होने के कारण जिलाधिकारी महोदया देहरादून के आदेशानुक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा दिनांक 15–06–2024 को विपक्षी की उपस्थिति में संयुक्त जॉच की गयी । तत्पश्चात् विपक्षी को कार्यालय पंत्राक–2284 दिनांक 16–05–2024 में सील आदेश जारी करते हुए दिनांक 16–05–2024 को विपक्षी द्वारा अवैध रूप से संचालन किये जा रहे कैफे को सील किया गया था । विपक्षी द्वारा धारा–14 व 15 का उल्लंघन करने के कारण विपक्षी को दिनांक 30–05–2024 को ध्वस्तीकरण का कारण बताओं नोटिस जारी किया गया जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 13–06–2024 नियत की गयी । नियत तिथि को विपक्षी द्वारा अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी द्वारा कार्यालय पंत्राक संख्या–2313/सी–0003/2022 दिनांक 30–05–2024 के आलोक में अपनी आपत्ति/तर्क प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में विपक्षी का कथन यह है कि दिनांक 16–05–2024 को प्राधिकरण द्वारा की गयी सीलिंग के खिलाफ विपक्षी द्वारा माननीय न्यायालय आयुक्त/अध्यक्ष ,एम0डी0डी0ए0 के समक्ष सीलिंग के आलोक में अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें दिनांकित 29–05–2024 को आदेश पारित किया गया तथा तदोपरान्त दिनांक 01–06–2024 को एक संशोधित आदेश भी पारित किया गया था , उक्त संशोधित आदेश की एक प्रति विपक्षी द्वारा अपनी आपत्ति/तर्क के साथ लगायी गयी है । दिनांक 01–06–2024 के आदेश में माननीय न्यायालय आयुक्त/अध्यक्ष ,एम0डी0डी0ए0 द्वारा आदेश किया गया है कि यदि प्राधिकरण एक सप्ताह के अन्दर विपक्षी के शमन मानचित्र का निस्तारण नहीं करता है तो प्राधिकरण द्वारा पारित सीलिंग आदेश निष्प्रभावी हो जायेगा तथा प्राधिकरण को विपक्षी की सम्पत्ति को सील मुक्त करना होगा ।

.........2/-

49

(2)

उक्त प्रकरण मे विपक्षी श्री नितिन देव आदि द्वारा उक्त वाद का शमन कराने हेतु शमनित व्यवसायिक मानचित्र संख्या–सीरी–0021/24–25 दिनांक 20–05–2024 को ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया गया था जो आपत्तियो का निराकरण न करने के कारण दिनांक 22–06–2024 को ऑटोरिजेक्ट हुआ। तत्पश्चात विपक्षी द्वारा प्रश्नगत स्थल का शमनित आवासीय मानचित्र संख्या–आआर–0406/24–25 नितिन देव आदि के नाम से दिनांक 09–06–2024 को ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया गया है । उक्त मानचित्र मे आवेदक को आपत्ति सूचित की गयी , जिसका निराकरण नहीं किया गया है।

चूंकि विपक्षी को प्रश्नगत अवैध निर्माण के सम्बन्ध मे किसी भी न्यायालय से कोई स्टे प्राप्त नही हुआ अतः ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत निर्माण के ध्वस्तीकरण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता है।

अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत स्थल पर किये गये अवैध निर्माण को इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर स्वयं हटा लें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा इसे बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू–राजस्व के बकाये के रूप में विपक्षी से वसूल कर लिया जायेगा।

उपजिलाधिकारी / पीठासीनअधिकारी,
ऋषिकेश ।

पत्रांक–2399 / वाद संख्या–सी–0003/2022 दिनांक 08/07/2024

प्रतिलिपि– 1– श्री नितिन देव पुत्र श्री देवराज,हाईड आऊट कैफे, 232/4, आस्था पथ,दुर्गा माता मंदिर के पीछे, गंगा विहार कालोनी ,ऋषिकेश, जिला देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

2– सहायक अभियन्ता/सम्बन्धित अवर अभियन्ता को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उपजिलाधिकारी / पीठासीनअधिकारी,
ऋषिकेश ।

50

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय, एच–21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेष, जिला–देहरादून।

पत्रांकः 2399 /वाद संख्या–सी–0001/2022 दिनांक 08/07/2024

अनाधिकृत निर्माणकर्ता श्री सुनील कुमार अरोड़ा/श्री राजीव अरोड़ा, होटल गंगा फोरेस्ट व्यू, 86, 86/1 गली न0–6,वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून ।

–:आदेशः–

विपक्षी द्वारा प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये बिना होटल गंगा फोरेस्ट व्यू, 86, 86/1 गली नं0–6,वीरभद्र मार्ग ऋषिकेश जिला देहरादून में स्थल पर लगभग 28फिट गुणा 55 फिट क्षेत्रफल में चार मंजिले भवन का निर्माण जिसमें वर्तमान में 'होटल गंगा फोरेस्ट व्यू' का संचालन किया जा रहा है, के विरूद्व उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2013 की धारा–27 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 05–01–2022 को निर्गत करते हुये पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11–01–2022 की तिथि नियत की गयी थी। विपक्षी द्वारा प्रकरण में विभिन्न तिथियों पर प्रस्तुत अपने पत्र दिनांक 11–01–2022 एंव दि0 18–01–2022 में समय चाहने पर विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदत्त किये जाने के उपरान्त विपक्षी द्वारा उक्त के संबंध में भी कोई अभिलेख/पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके सम्बन्ध में विपक्षी को कार्यालय पंत्राक–09/सी–0001/2022 दिनांक 01–04–2022 के द्वारा सील/ध्वस्तीकरण का कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया । विपक्षी द्वारा उक्त निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक स्वीकृत मानचित्र आदि की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है । स्थल निरीक्षण कराने पर पाया गया कि वर्तमान में स्थल पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है । स्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण है । विपक्षी द्वारा अभी तक उक्त निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृत/शमनित मानचित्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिसके सम्बन्ध में विपक्षी को पूर्व में भी कार्यालय पंत्राक–1437 दिनांक 13–01–2023 के द्वारा सूचित करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 20–01–2023 नियत की गयी । नियत तिथि को विपक्षी उपस्थित हुए और प्रार्थना पत्र देते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा गया । तत्पश्चात विपक्षी द्वारा दिनांक 03–02–2023 को विकय पत्र आदि अभिलेख दिये गये किन्तु निर्माण से सम्बन्धित कोई स्वीकृत/शमन मानचित्र नहीं दिया गया। विपक्षी द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के होटल संचालित किया जा रहा था । प्रश्नगत प्रकरण माननीय एन0जी0टी0कोर्ट में विचाराधीन वाद मूल आवेदन संख्या–463/2022 होने के कारण जिलाधिकारी महोदया देहरादून के आदेशानुकम में विभिन्न विभागों द्वारा दिनांक 15–06–2024 को विपक्षी की उपस्थिति में संयुक्त जॉच की गयी । तत्पश्चात् विपक्षी को कार्यालय पंत्राक–2283 दिनांक 16–05–2024 को सील आदेश जारी करते हुए दिनांक 16–05–2024 को विपक्षी द्वारा अवैध रूप से संचालन किये जा रहे होटल को सील किया गया था । यह भी अवगत कराना है कि विपक्षी ने प्राधिकरण द्वारा पारित सीलिंग आदेश दिनांक 16–05–2024 के विरूद्व अपील संख्या–151/2023–24 माननीय न्यायालय आयुक्त/अध्यक्ष ,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में योजित की गयी जो कि माननीय आयुक्त महोदय द्वारा बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी ।

विपक्षी द्वारा धारा–14 व 15 का उल्लंघन करने के कारण विपक्षी को कार्यालय पत्राक संख्या–2312/सी–0001/2022 दिनांक 30–05–2024 को ध्वस्तीकरण का कारण बताओं नोटिस जारी किया

..........2/–

गया जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 13–06–2024 नियत की गयी । विपक्षी द्वारा दिनांक 13–06–2024 को कार्यालय में प्रार्थना पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–1468 ऑफ 2024 में पारित आदेश दिनांक 11–06–2024 की प्रति जमा की गयी । उक्त रिट याचिका का अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया गया और न ही विपक्षी को कोई स्टे प्राप्त हुआ , अतः ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत निर्माण के ध्वस्तीकरण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता है।

अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत स्थल पर किये गये अवैध निर्माण को इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर स्वयं हटा लें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा इसे बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय भू–राजस्व के बकाये के रूप में विपक्षी से वसूल कर लिया जायेगा।

उपजिलाधिकारी/पीठासीनअधिकारी,
ऋषिकेश ।

पंत्राकः– 2399/ वाद संख्या–सी–0001/2022 दिनांक 08/07/2024

प्रतिलिपिः– 1– अनाधिकृत निर्माणकर्ता श्री सुनील कुमार अरोडा/श्री राजीव अरोडा, होटल गंगा फोरेस्ट व्यू, 86, 86/1 गली नं0–6,बीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

2– सहायक अभियन्ता/सम्बन्धित अवर अभियन्ता को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उपजिलाधिकारी/पीठासीनअधिकारी,
ऋषिकेश ।

 ANNEXURE A-10

VIPIN NAYYAR || OPPOSITE PARTY || 8006286662 || 21-07-2024 08:18:07 AM
Lp+xjH7X

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

WPMS NO. 1953 OF 2024

DISTRICT: DEHRADUN

1 - HOTEL GANGA FOREST VIEW AND ANOTHER

.... Petitioner

Versus.

1 - MUSSOORIE-DEHRADUN DEVELOPMENT AUTHORITY
2 - SUB DIVISIONAL MAGISTRATE / PRESIDING OFFICER MUSSOORIE DEHRADUN
3 - ASSISTANT ENGINEER MUSSOORIE DEHRADUN
4 - SECRETARY MUSSOORIE DEHRADUN DEVELOPMENT AUTHORITY DEHRADUN
5 - DISTRICT MAGISTRATE DEHERADUN

.... Respondent

Petitioner Advocate: NEERAJ GARG **Respondent Advocate:** RAHUL CONSUL

THE SEAL OF HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
21-07-2024

(53)

SL. No	Date	Office Notes, reports, orders or proceedings or directions and Registrar's order with Signatures	COURT'S OR JUDGES'S ORDERS
			WPMS 1953/ 2024 **Hon'ble Manoj Kumar Tiwari, J.** Mr. Neeraj Garg, Advocate, for the petitioner. Mr. Suyash Pant, Standing Counsel, for the State. Mr. Rahul Consul, Advocate, for the MDDA. Mr. Vipin Nayyar, caveator-in-person. (2) List on 24.7.2024 as fresh. (3) There shall be status quo till the next date of listing. (4) Stay application (IA/1/2024) stands disposed of. **(Manoj Kumar Tiwari, J.)** **19.7.2024** Pr

ANNEXURE A-11

(54)

VIPIN NAYYAR || OTHERS || 8006286662 || 20-07-2024 06:52:01 PM

Lp+xj3LX

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

WPMS NO. 1961 OF 2024

DISTRICT: DEHRADUN

1 - NITIN DEV

.... Petitioner

Versus.

1 - STATE OF UTTARAKHAND
2 - MUSSOORIE DEHRADUN .
3 - DISTRICT MAGISTRATE
4 - SUB DIVISIONAL MAGISTRATE
5 - EXECUTIVE ENGINEER

.... Respondent

Petitioner Advocate: DUSHYANT MAINALI **Respondent Advocate:** C.S.C.

THE SEAL OF HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

20-07-2024

SL. No	Date	Office Notes, reports, orders or proceedings or directions and Registrar's order with Signatures	COURT'S OR JUDGES'S ORDERS
			WPMS No.1961 of 2024 **Hon'ble Pankaj Purohit, J.** Mr. Dushyant Mainali, learned counsel for the petitioner. 2. Mr. Anil Dabral, learned Additional C.S.C. along with Mr. Devendra Pant, learned Standing Counsel for the State/respondent nos.1, 3, 4 & 5. 3. Mr. Rahul Consul, learned counsel for the respondent no.2-MDDA. 4. Mr. Vipin Nayyar, Caveator-in-person. 5. Heard learned counsel for the parties. 6. The petitioner is aggrieved by the order dated 16.05.2024, whereby the property in-question was sealed by the orders of S.D.M./Presiding Officer, MDDA, Rishikesh as well as the order dated 08.07.2024, whereby the property was directed to be demolished. 7. Learned counsel for the respondent(s) prays for and is granted six weeks' time to file counter affidavit(s). 8. List on 14.10.2024. 9. In the meantime, petitioner shall implead the caveator as party-respondent in the matter. 10. Till then, status quo shall be maintained over the property in-question. **(Pankaj Purohit, J.)** 20.07.2024 AK

ANNEXURE A-12

(56)

Hotel "The Naga"

241, Virbhadra Road, Sturdia Colony

Rishikesh – 249201 District Dehradun

Constructed at a mere 8 meters from the edge of River Ganga in Eco-Sensitive and Prohibitory Zone.